सम्पादक
डॉ. हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु. गुफ़रान नदवी
मु. हसन अन्सारी
हबीबुल्लाह आज़मी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
पो0 बॉ0 नं0 93
टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ
फोन : 0522–2740406
: 0522–2741221
E-mail :
nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	रु0 12è-
वार्षिक	रु0 120è-
विशेष वार्षिक	रु0 500è-
विदेशों में (वार्षिक)	30 युएस डालर

चेक / ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
नदवतुल उलमा, लखनऊ, 226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

अक्टूबर, 2010 वर्ष 09 अंक 8

उन्नति काल

इस उन्नति काल में
दुल्हनें जलाई जाती हैं
गर्भ की पुत्रियाँ
जतनों से गिराई जाती हैं
जिधर देखो
अब घूस का राज है
घूस बिन ठप हुआ
हर एक काम काज है
घूस का लेना देना
इस काल का फैशन है
घूस का नाम
रखा गया डूनेशन है

(इदारा)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

Visoin Computer- +91 94510 64588, +91 90260 43858

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
जाइसीने मदीना	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	4
बेउसूली व तकल्लुफ	सम्पादकीय	5
जग नायक	मौ0 (स0) मु0 राबे हसनी नदवी	6
व्यापार का नियम	मौ0 बिलाल हसनी नदवी	8
बीमा की किस्मे	मुफ्ती राशीद हुसैन नदवी	9
मुस्लिम समाज	मौ0 स0 मु0 राबे हसनी नदवी	12
आप के प्रश्नों के उत्तर	इदारा	15
कब्रिस्तान व मज़ारात	इदारा	17
हम कैसे पढ़ायें	डा0 सलामतुल्लाह	18
हज को जाने वाले	इदारा	22
इस्लाम तलवार से फैला या सद्व्यवहार से?	अल्लामा सै0 सुलेमान नदवी	25
गोश्त खोरी	डॉ हारून रशीद सिद्दीकी	27
ख़वातीने इस्लाम	मौ0 अब्दुर्रहमान नग्रामी नदवी	28
सर सैयद अहमद ख़ान	संपादन प्रभाग	31
खत की सोंधी यादें	नजमुस्सकिब अब्बासी नदवी	32
मुंशी प्रेमचन्द	नजमुस्सकिब नदवी	33
एक हफ्ता हिमालय की गोद में	एम0 हसन अंसारी	34
बरसाती कुकुरमुत्तों की तरह फल–फूल	विद्या प्रकाश	38
नग़मा–ए–नूर	इन्तिजार नईम	39
अतंर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ नदवी	40

कुरआन की शिक्षा

– मौ0 शब्बीर अहमद उस्मानी

सूर-ए-बकरह आयत 28 से 30 तक

अनुवाद :

किस तरह काफिर होते हो खुदाए ताआला से हालाँकि तुम बेजान थे[1], फिर जिला दिया तुमको[2], फिर मारेगा तुम को[3], फिर जिलाएगा तुमको[4], फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे[5] (28) वही है जिस ने पैदा किया तुम्हारे वास्ते जो कुछ जमीन में है सब, फिर कस्द किया आसमान की तरफ सो ठीक कर दिया उन को सात आसमान और खुदाए तआला हर चीज से बाखबर है[6] (29) और जब कहा तरे रब ने फिरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक नाइब[7], कहा फिरिश्तो ने क्या काइम करता है तू जमीन में उस को जो फसाद करे उस में और खून बहाए और हम पढ़ते रहते हैं तेरी खूबियाँ और याद करते है तेरी पाकजात को[8], फरमाया बेशक मुझ को मालूम है जो तुम नहीं जानते (30)।

तफ्सीर

1. यानी बेजान जिस्म जिन में कोई हरकत न हो अव्वल अनासिर थे उस के बाद वालिदैन की गिज़ा बने फिर नुतफा फिर खून जमा हुआ फिर गोश्त।

2. यानी हालाते साबिका के बाद रूह फूंकी गई जिससे रहिमे मादर और उसके बाद दुन्या में जिन्दा रहे।

3. यानी जब दुन्या में वक्त मरने का आएगा।

4. यानी कियामत को जिन्दा किये जायोगे हिसाब लेने के वास्ते।

5. यानी कब्रों से निकल कर अल्लाह ताआला के रू-बरू हिसाब व किताब के वास्ते सो खडे किये जाओ गे।

अब इन्साफ करो कि जब तुम अव्वल से आखिर तक अल्लाह ताआला के एहसानात के मरहून हो और हर हालत और हाजत में उस के मुहताज और उस के मुतवक्के फिर उस पर भी कुफ्र करना और उसकी नाफरमानी करना फिर कद्र तअज्जुबे खेज अम्र है।

6. इस आयत में दूसरी नेमत ब्यान फरमाई यानी अल्लाह ने तुम को पैदा किया और तुम्हारी बका और तुम्हारे फाइदे के लिये जमीन में हर तरह की चीजें कसरत से पैदा फ़रमाईं, उस के बाद कई आसमान बनाए गये जिन में तुम्हारे लिये तरह-तरह के फाइदे हैं।

7. अब एक बड़ी नेमत का जिक्र किया जाता है, जो सारे इन्सानों पर की गई और वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश का किस्सा है जो तफ्सील से ब्यान किया गया और उनको अल्लाह का खलीफा बनाया गया पहली आयत में जो (तुम्हारे लिये जमीन की हर चीज पैदा की गई) फरमाया था उस में किसी को इन्कार पेश आए तो हज़रत आदम अ0 का किस्सा से उसका जवाब भी अच्छी तरह है।

8. फिरिश्तों को जब यह खलजान हुआ कि ऐसी मखलूक कि जिस में फसाद करने वाले और खून बहाने वाले तक होंगे हम ऐसी-एसे [illegible]तीअ और फरमाँ बरदा के होते [illegible]न को खलीफा बनाना इस की वज[illegible] क्या होगी? तो बतरीक इस्तिफादा यह सुवाल किया, एअतिराज हरगिज न था, रहा यह अम्र कि फिरिश्तों को आदम की औलाद का हाल क्यूं कर मालूम होवा और इस में बहुत से एहतिमाल हैं जिन्नात पर कियास किया था, अल्लाह तआला ने पहले बता दिया था या लौहे महफूज पर लिखा देखा था समझ गये कि हाकिम व खलीफा की जरूरत जब ही होगी जब जुल्म व फसाद होगा, या हज़रत आदम अ0 के क़ालिब को देख कर बतौर कियाफ़ा समझ गये हो।

9. फरिश्तों को सरे दस्त विल इजमाल यह जवाब दिया गया कि हम खूब जानते है उस के बाद पैदा करने में जो हिकमतें है तुम को अभी तक वह हिकमतें मालूम नहीं वरना उसकी खिलाफत और बड़ाई अफजलीयत में शुब्ह न करते।

प्यारे नबी की प्यारी बातें

अनुवाद : अताउल्लाह सिद्दीकी

अमतुल्लाह तस्नीम

टख्ने से नीचे तहबन्द, पायजामे ममानेअत

हज़रत अबू जरई (रज़ि0) बिन जाबिर बिन सुलैम से रिवायत है कि मैंने एक आदमी को देखा कि लोग उनकी राय पर चलते हैं और जो कुछ कहते हैं लोग उसी की पैरवी करने लगते हैं। मैंने कहा ये कौन है? लोगों ने कहा ये अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा अलैकस्सलामु या रसूलल्लाह अलैकससलामु या रसूलल्लाह। आप ने फरमाया अलैकससलामु मत कहो, अलैक–स्सलामु मुर्दों का सलाम है।(1)

अस्सलामु अलैक कहा करो। मैंने अर्ज़ किया आप अल्लाह के रसूल हैं, फरमाया हाँ मैं उस अल्लाह का रसूल हुँ कि जब तुमको कोई रनज या सदमा पहुँचे और तुम उसको पुकारो तो वह तुम्हारी मुसीबत दूर कर देगा। और जब तुम कहत साली में मुब्तला हो जाओ, फिर उससे दुआ माँगो तो वह तुम्हारे लिए जमीन से पैदा कर देगा और अगर किसी जंगल में तुम्हारा ऊँट खो जाए फिर तुम उससे दुआ करो तो वह तुम्हारे ऊँट को पलटा देगा। मैंने अर्ज़ किया आप मुझे कुछ नसीहत फरमाइये। आपने फरमाया किसी को गाली न देना (उस दिन से मैंने किसी को गाली नहीं दी, न गुलाम को न आजाद को, न ऊँट को न बकरी को) और किसी नेकी को हकीर न समझना, अगर तुम अपने भाई से कुशादा पेशानी के साथ मिलो तो ये भी नेकी है। और पायजामें की लम्बाई आधी पिण्डली तक रखो। और अगर ये तुम्हें पसन्द न हो तो टखनों तक रखों। पायजामा लटकाने से बचो ये तकब्बुर है और तकब्बुर अल्लाह को नापसन्द है और अगर तुमको कोई गाली दे या तुमको ऐसी बात पर शर्म दिलाए कि जिस ऐब को तुम्हारे अन्दर मौजूद होने की उसको खबर है तो तुम उसके ऐब पर उसको शर्म न दिलाओ जिसको तुम जानते हो फिर उसका वबाल उसी पर पड़ेगा।

(अबूदाऊद–तिर्मिजी)

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि0) से रिवायत है कि एक आदमी तहबन्द लटकाए हुए नमाज पढ़ रहा था। आपने फरमाया जाओ वुजू करो। वह गया और वुजू करके वापस हुआ। आप (सल्ल0) ने फरमाया फिर जाओ वुजू करो। एक आदमी ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! ये क्या बात है कि आपने उसको वुजू का हुक्म दिया और फिर खामोश रहे। आपने फरमाया उसकी तहबन्द (लुंगी) लटकी हुई थी। अल्लाह तआला ऐसे शख्स की नमाज कुबूल नहीं फरमाता जिसकी तहबन्द लटकी हो। (अबूदाऊद)

❑❑

जाइरीने मदीना

नबी का नगर
देखने जा रहे हो
नबी की डगर
जानने जा रहे हो
खड़े होके रौजे पे
पढ़ो गे सलाम
ये रब का करम
देखने जा रहे हो
अबुबक्र फारूक़
किस्मत से अपनी
नबी के बगल में
है आराम फरमाँ
नबी की सलामी से
पाकर के फुरसत
सला उन को करने को
भी जा रहे हो
पढ़हो गे नमाजें जो
मस्जिद में उनकी
सवाबों को वाँ
लुटने जा रहे हो
दुरूद उन पे लाखो
करोड़ों सलाम
जियारत को जिनकी
चले जा रहे हो

बेउसूली व तकल्लुफ

डॉ0 हारून रशीद सिद्दीकी

बेउसूली

अगर आप ऐसे तबके (वर्ग) से तअल्लुक रखते हैं जो लिखा पढ़ा और जिम्मेदारियों के काम में मशगूल रहता है, चाहे उस की मशगूलीयत निजी हो या नौकरी व मुलाजमत की, तो आप आपस में किसी काम से मिलना चाहें तो चाहिये कि उससे पहले इजाजत ले लें या कम से कम उस को पहले से बता रखें ताकि आप के लिये वह वक्त निकाल ले अचानक पहुँच कर उस के काम में हारिज होना बेउसूली है, कभी ऐसा होता है कि अचानक जरूरत पड़ जाती है इत्तिलाअ देने का मौअका नहीं होता है ऐसी सूरत में जिस से अचानक मिल कर उस का वक्त लेना चाहें तो सब से पहले उस को अपनी मजबूरी बता कर उसका जेहन साफ करे फिर अपनी बात रखें।

आप से जो मिलने वाला वक्त लेकर आए या एमरजन्सी जरूरत पर अचानक आ जाए अगर आप उसे नाशता वगैरह करा सकते हों और कराना चाहें तो उससे यह न पूछे कि नाश्ता चास लाएं बल्कि चाय वगैरह उस के सामने रखें अगर गर्मी का मौसम है तो सबसे पहले ठन्डा पानी पेश करना चाहिये। इसी तरह आप आफिस वगैरह में नहीं हैं घर पर है और खाने का वक्त है तो खाना ला कर पेश करें मेहमान से न पूछें कि क्या खाना लाए? कभी तकल्लुफ में मेहमान कह सकता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है।

तकल्लुफ

एक मौलवी साहब रमजान में मैसूर गये एक बड़े मदरसे का चन्दा वसूल करना था एक सेठ साहिब ने फरमाया कि शाम का खाना हमारे साथ खाएं और मेरे घर कयाम करें और सहरी भी मेरे घर खाएं। मौलवी साहिब ने कबूल कर लिया उन को सवेरे फज्र बाद किसी गाड़ी से बंगलौर आना था। मौलवी साहिब मगरिब के वक्त सेठ साहिब़ की दूकान पहुँच गये, बिजली के सामान की थोक दूकान थी कई नौकर थे। नौकरो ने बताया कि सेठ साहिब घर जा चुके हैं और फरमाया है कि जब दूकान बन्द करें तो मौलवी साहिब को घर पहुँचा दें लिहाजा आप इशा की नमाज के बाद आइये तो आप को सेठ साहिब के घर पहुँचा दिया ज़ाएगा। मौलवी साहिब ने एक केला और एक समूसे से इफ्तार किया, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, मुसाफिर थे तारावीह ना पढ़ी और सेठ साहिब की दुकान आ गये, यहाँ अभी कारोबार चल रहा था, मौलवी साहिब को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया उनकी आतें "कुल हुवल्लाहु" पढ़ रही थीं एक घन्टे के बाद दूकान बन्द हुई तो एक नौकर ने मौलवी साहिब को सेठ साहिब के घर पहुँचा दिया। सेठ साहिब के यहाँ खाने वगैरह के बाद मजलिस जमी हुई थी। सेठ साहिब़ ने मौलवी साहिब को देखते ही पूछा, खाना खालिया? यह सेठ साहिब की सखत बे उसूली थी। शायद सेठ साहिब अपने अजीजों और दोस्तों से इस तरह न पूछंते होंगे। मौलवी साहिब ने जवाब दिया, हाँ खा लिया। यह मौलवी साहिब का हद दरजे बेजा तकल्लुफ था। मौलवी साहिब मजलिस में बैठ गये, मजलिस खत्म हुई बिस्तर पर लेट गये, भूख से बेचैन थे कुछ सोए कुछ जागे यहाँ तक कि सहरी का वक्त आ गया मगर सेठ साहिब के घर सन्नाटा था जब सहरी का वक्त खतम होने में 15 मिनट रह गये तो किसी बूढ़ी औरत ने आवाज दे दे कर सब को जगाया। सहरी का दसतरखान लगा तो मौलवी साहिब ने अपनी घड़ी देखी, सहरी का वक्त खत्म हो चुका था सेठ साहिब के घर के करीब कोई मस्जिद भी न थी कि अजान की आवाज़ आती, सब लोग सहरी खा रहे थे मगर मौलवी साहिब हाथ खींचे हुए थे। सेठ साहिब ने फरमाया मौलवी साहिब खाइये–खाइये! मौलवी साहिब ने कहा रात देर से खाया था

शेष पृष्ठ 7

किस्त : 21

जागनायक

हज़रत मौलाना मुहम्मद राबे हसनी नदवी

अनुवाद मु0 गुफरान नदवी

शरीअते मुहम्मदी का इल्म व कलम से गहरा सम्बन्ध

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली पहली "वही" का आरम्भ जो "इकरा बिस्मे रब्बिका" से हुवा था उसमें साफ इशारा किया गया था कि सच्चे दीन की तअलीम व तशरीह (व्याख्या) जो इस आखरी नबी के जरये की जा रही है, यह इल्म का कलम से गहरा वास्ता (सम्बन्ध) रखती है, अब तक इल्म व कलम को इन्सान नफ्स परस्ती (इच्छा भक्ति) अभिमान के एहसास की पूर्ति, महानता की नुमाइश, अपने ज्ञान को दुनियावी इच्छाओं के लिये, कमजोर इन्सानों का गुलाम बनाने और अपनी शान दिखाने के लिये करता रहा है, इस को अब इन्सानों के सुधार और अल्लाह के आदेशों पर अमल करने और इस्लाम व रूश्द हिदायत (पथ प्रदर्शन) का जो काम इन्सान को उसके रब ने जमीन पर अपने नाएब (प्रतिनिध) की हैसियत से दिया है, जिस का बड़ा जरीआ (माध्यम) इल्म व कलम है, इसी कलम व इल्म से उसको अपने नबी के माध्यम से मिलने वाली रहनुमाई में अंजाम देना है, इस तरह उस नबी को जो "उम्मी" था अर्थात पढ़ना लिखना न जानने वाले जो केवल प्राकृतिक और अनुभाविक शक्ति द्वारा प्राप्त की हुई जानकारी ही रखते थे, अपनी ही तरह की उम्मी (अनपढ़) कौम के लिये ही नहीं, बल्कि तमाम इन्सानों के शिक्षित वर्ग बल्कि बड़े–बड़े माहिरीने इल्म, विद्वानों के भी मुअल्लिम (शिक्षक) और आसमानी शिक्षा के तन्हा पहुँचाने वलो और इन्सानों की मुकम्मल (पूर्ण) मजहबी रहबरी करने वाले थे, और इस तरह उस "नबी उम्मी" पर जो वही नाजिल होती रही, इन्सानियत की भलाई व सफलता वाले ज्ञान का स्रोत बनी, और इस तरह यह "वही" सच्चाई व हिदायत के रास्ते पर चलने वालों के लिये इल्मी रिसर्च, इल्मी कोशिश और तरक्की व रिसर्च का जीना बनी, और "वही" इन दो आदेशों अर्थात "इकरा" और "अल्लमल इन्साना मालम यअ़लम" (इन्सान को वह सिखाया व बताया जिससे वह नावाकिफ था) के असर से इन्सानियत के वह चशमे फूटे जिनकी मिसाल इन्सानी तारीख में नहीं मिलती पिछले इल्म और ज्ञान को काफी नहीं समझा गया। बल्कि उसमें बहु मूल्य वृद्धि (इजाफे) के साथ–साथ कीमती उलूम पैदा हुवे जो पहले नहीं थे, और उन नए उलूम में वह बारिकियाँ और गहराइयाँ पैदा हुईं कि इन्सानियत के लिये उच्चतम परिचय का कारण बनीं, कुर्आन करीम के सम्बन्ध से नए उलूम और हदीस शरीफ के सम्बन्ध से अधिक और विभिन्न उलूम और दूसरे नए उलूम वजूद में आए और उनके पुस्तकालय के पुस्तकालय तय्यार हो गए और इस तरह अन्तिम नबी की उम्मत इल्म और ज्ञान की और उसी के साथ–साथ इन्सानियत की सफलता के लिये रहनुमाई करने वाले इल्म की उम्मत बन गई।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरने वाली उस पहली "वही" ने अपने मानने वालो को इल्म वे दानिश (ज्ञान) का वह महान रास्ता बता दिया जो मानवता की सफलता की जमानत बना, इसमें "इक़रा" के साथ "बिस्मे रब्बिक" (पढ़ अपने रब के नाम से) के इजाफे से बड़ी बुनयादी हक़ीक़त (वास्तविक्ता) स्पष्ट कर दी गई कि उस में इन्सान के पढ़ने को इन्सान के खालिक (पैदा करने वाले) के नाम से जोड़ा गया अर्थात इन्सान अपने गौर व फिक्र तलाश व तहकीक (रिसर्च) से जो इल्म हासिल करे उसको अपने खालिक व मालिक से वाबस्ता (सम्बोधित) कर के हासिल करे, ताक वह गलत राह पर न चला जाए, क्यों कि वह खवाहिश (इच्छा) पसन्द व नापसन्द रखने वाला इन्सान है, गलती कर सकता है और गलत रूख पर जा सकता है, जब वह अपने इल्म को अपने "रब" के साथ वाबस्ता (सम्बोधित) करेगा तो बहकने से महफूज रहेगा, इसके अलावा उसको इल्म के वह हकाएक

(वास्तविकताएं) भी मअलूम होंगे जो सिर्फ उसका "रब" ही जानता है और बता सकता है, और जो बगैर उसके बताए मअलूम नहीं हो सकते, और वह सिर्फ "वही इलाही" के जरीए ही मअलूम हो सकते हैं, फिर इल्म का वसीला (माध्यम) कलम को बनाया कि उसी के जरीए इल्म को महफूज (सुरक्षित) किया जा सकेगा, और रहती दुनिया तक उसका फाइदा काएम (स्थापित) रखा जा सकेगा, इस तरह इल्म की दो शाखें हुईं, एक वह जो सिर्फ दुनियावी तकाजों और जरूरतो से तअल्लुक (सम्बन्ध) रखती है, और उनकी फिक्र करने की भी इजाजत परवरदिगारे आलम (विश्व प्रतिपालक) ने दी है और दूसरी इस जिन्दगी के बअद जो आखिरत की तवील (लम्बी) जिन्दगी है जो दुनयावी जिन्दगी में गुप्त रूप में है, उसके सम्बन्ध रहनुमाई करने वाला इल्म है, दुनयावी जिन्दगी के शारीरिक लाभ व हानि के ज्ञान के मार्गदन के लिये अल्लाह तआला ने इन्सान की बुद्धि और उसके अनुभवों को जरिया बनाया है, और आखिरत के विषय में रहबरी के लिये जो कि इस दुनयावी जिन्दगी में नज़र नहीं आती उसका इल्म इन्सान के खालिक़ (पैदा करने वाले) के बताने ही से हासिल हो सकता है जिसको इन्सान का खालिक (पैदा करने वाला) अपने बरगुजीदा (सर्वश्रेष्ट) बन्दा अर्थात् नबी के जरिए उसकी जानकारी कराता है, और अब रहती दुनिया तक अल्लाह तआला ने अपने आखिरी बरगुजीदा बन्दा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया और उनको अल्लाह तआला ने विशाल और व्यापी और न बदलने वाले इल्म के बताने और समझाने के लिये नियुक्त किया जिसमें इन्सान के लिये इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी (सफलता) है।

इस इल्म की तफसीलात (विवरण) से अल्लाह तआला ने अपनी किताब कुर्आन मजीद के जरिये और फिर अपने नबी के "वही" के जरिए वाकिफ कराया और उससे वाकिफ हो जाने के बअद इन्सान उसको मानने और उस पर अमल करने पर जिम्मेदार नियुक्त किया गया है और उसका कियामत तक जारी रहना तय कर दिया और उसके न मानने पर अपने खालिक व मालिक (स्वामी) अल्लाह तआला की तरफ से सख्त सजा का मुसतहक (पात्र) करार दिया, चुनाँचि इस सूरते हाल में नबी के लाए हुवे अल्म से वास्तविक जरूरत तक वाकिफ होना जरूरी करार दिया गया और इसी हुक्म का नाम "शरीअत" है, ऐसे इल्म से नबीयों के जरिए जमीन पर बसने वालों को वाकिफ कराया जाता रहा है, लेकिन पहले नबीयों और रसूलों के सरकिल क्षेत्रीय होते थे और एक रसूल दूसरे रसूल के जमाने तक के लिये होता था, लेकिन यह आखिरी रसूल दुनिया के निश्चित काल के लिये नियुक्त किये गए।

जारी.....

❑❑

बउसूली व तकल्लुफ

इसलिए खाने को जी नहीं चाह रहा है और मुझे सुबह की गाड़ी पकड़ना है इस लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। यह फिर मौलवी साहिब का बेजा तकल्लुफ और तकवे का हैजा था चाहिये था कि रोजे की नीयत न करते और सहरी खा कर रवाना होते मगर उन के तकल्लुफ ने रोजे पर रोजा रखवाया। बैग सम्भाला बाहर निकले, स्टेशन जाने वालों के साथ स्टेशन पहुँच गये, टिकट लिया गाड़ी पर सवार हुए और बंगलौर रवाना हो गये। आप समझ सकते हैं कि मौलवी साहिब का उस दिन का रोजा किस तरह गुजरा होगा?

यह बात सन 1968 के करीब की है जब बंगलौर में आम तौर से रमजान में चन्दा वाले मौलवी साहिबान को कोई न ठहराता था न खिलाता था अब तो हालात बदल चुके हैं। बहर हाल मौलवी साहिब ने रोजा पूरा किया, इफ्तार किया, नमाज पढ़ी और होटल पहुँच कर अपनी भूख बुझाई।

आप देखें कि कही यह बेउसूली और बेजा तकल्लुफ आप में या आप के खान्दान में तो नहीं मौजूद है? इन दोनों ऐबों को मुआशरे (समाज) से दूर करना मोहज़्ज़ब लोगों (सभ्य) के लिये जरूरी है।

❑❑

व्यापार का एक महत्वपूर्ण नियम

- बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

इस्लामी व्यापारिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण नियम इस हदीस में बयान किया गया है कि (अनुवाद : धोखे के व्यापार से अल्लाह के रसूल (सल्ल0) ने मना फरमाया है) इस्लाम का कानून ये है कि व्यापार स्थिर और पुख्ता हो। उनमें कोई झोल न हो ताकि कोई धोखा न खाए और किसी का कोइ नुकसान न हो। इस्लामी और गैरइस्लामी व्यवस्था का बड़ा अन्तर ये है कि गैरइस्लामी व्यवस्था में आपस की रजामन्दी से सभी दल जो भी तय कर लें व्यापार उसके अनुसार अन्जाम दिया जा सकता है। जबकि इस्लाम इस सिलसिले में आजादी के साथ–साथ कुछ हद व सीमाएं भी तय करता है, उन्हीं सीमाओं में ये भी है कि व्यापार के समय अविश्वास की स्थिति न रहे और व्यापार बिल्कुल साफ व पुख्ता हो ताकि आगे चलकर किसी को नुकसान न हो और झगड़े की नौबत न आने पाये।

धोखे के व्यापार के आधारभूत चार रूप हैं

पहला रूप ये है कि जो चीज बेची जा रही हो वो पूरी तरह तय न की जाए या तय न की जा सके। इसके दसियों रूप बनतें हैं और हदीस में इसके कई रूपों की चर्चा मिलती है। अज्ञानता के युग में इसका बड़ा रिवाज था। सौदा हो रहा है अगर खरीदने वाले ने किसी चीज पर हाथ रख दिया तो उसका सौदा पूरा हो गया। बेचने वाले को चाहकर या ना चाहकर वो चीज उसके हवाले करनी पड़ती थी। "बैउल्हसात" भी उसी का एक रूप है। अज्ञानता के युग में उसका भी रिवाज था। खरीदने वाला कन्करी फेंक कर मारता था, जिस चीज को लग जाए उसका सौदा हो जाता था। वर्तमान समय में भी आम तौर पर ये रूप बहुत प्रचतिलत है कि विभिन्न चीजें किसी जगह सजा दी जाती हैं और खरीदने वाला कोई रिन्ग इत्यादि फैंकता है, रिन्ग जिस चीज पर लग जाए, उसका सौदा हो जाता है। कीमतें सबकी एक होती हैं। अब किसी के हिस्से में एक कलम आया और किसी के हिस्से में बहुत कीमती सामान आया, व्यापार के समय ये निश्चित नहीं होता। इस अविश्वास की स्थिति के साथ इस्लाम व्यापार को सही नहीं कहता है। इस में किसी का नुकसान है तो किसी का फाएदा।

जिस प्रकार बेची जाने वाली चीज का तय होना आवश्यक है उसी प्रकार कीमत का तय होना भी आवश्यक है। अगर कोई किसी चीज को इस प्रकार बेच रहा है कि ये चीज नकद ली जाए तो सौ रूपये में, और उधार ली जाए तो डेढ़ सौ रूपये में तो उस स्थिति में उस समय तक व्यापार पूरा नहीं होगा जब तक कि उन दोनों सूरतों में से एक सूरत को तय न कर दिया जाए।

धोखे के व्यापार की तीसरी सूरत ये है कि जो चीज बेची जा रही हो वो बेचने वाले के अधिकार में न हो। फल लगने से पहले फलों के सौदे से इसीलिए रोक़ा गया है। इसी प्रकार दो साल के फलों के सौदे से भी इसीलिए रोका गया है कि जो चीज अभी बेचने वाले के अधिकार में नहीं है वे कैसी बेची जा सकती है। इसमें सम्भावित खतरे हैं, कोई विपदा इन्हे नष्ट कर सकती है। जाहिर है इसके बाद झगड़े की नौबत आ जाएगी या कम से कम एक वर्ग का नुकसान होगा, और जो मूल्य खरीदने वाले ने अदा किया उसका बदल तो उसको नहीं मिला।

इसी प्रकार अगर कोई किसी जानवर के होने वाले ग्रभ से जो आने वाला बच्चा है उसका सौदा करता है तो ये भी नाजाएज है। इसलिए कि वे बेचने वाले के अधिकार से बहार की चीज है। हवाओं में उड़ते परिन्दे और नदियों और समन्दरों में तैरती मछलियों का भी यही आदेश है कि वो बेचने वाले के अधिकार से बाहर की चीज है। हाँ अगर किसी के पास कोई तालाब हो और वो उसकी मछलियाँ बेचना चाहे तो उसे न आज्ञा है,

शेष पृष्ठ 23

बीमा की किस्में
और उनके इस्लामी आदेश

- मुफ्ती राशिद हुसैन नदवी

जमाने के परिवर्तन के कारण जो नयी–नयी समस्याएं जन्म लेती हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या बीमा की भी है। जाहिर बात है कि वर्तमान समय में जिन परिभाषाओं के साथ बीमा समाज में पाया जाता है, आप (सल्ल0) सहाबा किराम (रज़ि0) बल्कि अइमा किराम रह0 के समय में इसका अस्तित्व नहीं था। बहुत से लोगों का ख्याल हैं कि 169 ई0पू0 में पहली बार इसका कुछ प्रारम्भिक रूप सामने आया लेकिन उसकी ढंग से शरूआत बताया जाता है कि सन् 1666 ई0 से हुई। जब लन्दन में आग लगी जिसकी चपेट में तेरह हजार मकान और एक सौ गिरिजाघर आये और जलकर राख हो गये। फिर धीरे–धीरे उसने व्यवस्थित रूप अपना लिया और जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गया।

इस प्रकार गौर किया जाए तो बीमा की व्यवस्था अपनी अस्ल के अनुसार भलाई के सहयोग के नियम पर आधारित है। और उसका उद्देश्य ये है कि मुसीबत और हादसे का शिकार हो जाने वाले व्यक्तियों की मदद की जाए उनकी तकलीफ दूर की जाए और नुकसान की भरपाई में सभी बीमा वालों को सम्मिलित किया जाए ताकि हानि का भार परेशानहाल व्यक्ति को अकेले न सहना पड़े। इस प्रकार वास्तविक रूप के अनुसार ये व्यवस्था तकवे के साथ सहयोग के नियम पर आधारित है जिसका आदेश कुर्आन मजीद में देते हुए इरशाद है :

(अनुवाद : नेकी व भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करों, बुराई के कामों में मदद न करों)

फिर न बीमे का सम्बन्ध किसी खेल तमाशे से है न ही उसको किसी बेकार कार्य की गरज से वजूद में लाया गया है। बल्कि वो तमुद्दनी, व्यापारिक और आर्थिक आवश्यकताओं के तहत उभरा है। इसको समाप्त कर दिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं आर्थिक मैदान में बड़ी रुकावटें खड़ी हो जाएंगी और विशेष रूप से बड़े व्यापारियों को बहुत दिक्कत पेश आयेगी।

लेकिन इस व्यवस्था की बागडोर भी क्योंकि यूरापियन कौमों विशेषतयः यहूदियों के हाथ में रही। अतः उन्होंने उसमें बहुत से बेकार के तथ्य भी शामिल कर दिये और उस पूरी व्यवस्था को ब्याज और जुए का मिश्रण बना दिया जिसकी जाहिर बात है कि किसी भी हाल में आज्ञा नहीं दी जा सकती।

बीमा के प्रकार : बीमा की तीन आधारभूत किस्में हैं

1. आपसी सहयोग पर आधारित बीमा : उनमें से पहले प्रकार यानि आपसी सहयोग पर आधारित बीमा में आपसी सहयोग की सोसाइटियाँ (Co-Operative) अपने भागीदार को उनता ही मुआवजा अदा करने को कहती है जिससे हानि की भरपाई हो जाए। उनके पशेनज़र ये होता है कि कोई ख़तरा पेश आने पर उसकी भरपाई हो सके। इसीलिए व्यापारिक बीमे की तरह उसकी किस्तें तय नहीं होती हैं, बल्कि हानि के कम व अधिक होने के आधार पर उसकी मात्रा भी कम व अधिक होती रहती है। इस बीमे में कई बार ऐसा भी होता है कि हानि होने के बाद मेम्बरों से हानि के पैसे लिये जाते हैं। या शुरू में एक निश्चित मात्रा ली जाती है और साल पूरा होने पर मुकम्मल हिसाब होता है। अगर पैसे कम हुए तो मेम्बर अदा करते हैं, बढ़ जाएं तो कम्पनी मेम्बरों को लौटा देती है।

इस प्रकार के बीमे में लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता। अतः सभी उलमा इसे जाएज करार देते हैं। इसमें तो परेशान हाल की मदद करना है अतः नाजाएज करार देने की कोई वजह नहीं है। बस ये शक होता है

कि कहीं इसमें धोखा न हो, इसलिये कि खतरे से किसका सामना होगा किसका नहीं होगा मालूम नहीं। लेकिन इस मामले की हैसियत पर गौर किया जाए तो अस्ल में ये रियायत में से है अतः ये धोखा इसमें हानिकारक नहीं होगा।

ये रूप मेरी जानकारी के अनुसार भारत में प्रचलित नहीं है, बल्कि कई मुस्लिम देशों में ये रूप प्रचलित है और उसको उलमा ने जाएज करार दिया है।

2. व्यापारिक बीम : बुनियादी तौर पर इसकी तीन किस्में हैं :

1) जीवन बीम,
2) माल व जाएदाद का बीमा, तथा
3) जिम्मेदारियों का बीमा।

जीवन बीमा में इस समय दो पालिसियाँ अधिक प्रचलित हैं, एक ये कि निश्चित समय की पालिसी ली जाए और कम्पनी की ओर से निश्चित किस्त (Prime Fix) हर माह अदा किया जाए। अगर इस समय से पहले–पहले पालिसी होल्डर मर गया तो कम्पनी पूरी रकम वारिस को दे देगी और बाक़ी की क़िस्तें माफ़ हो जाँएगी। और अगर पालिसी होल्डश्र उस समय तक जीवित रहा तो उसे सभी क़िस्ते अदा करनी होंगी फिर समय पूरा होने पर जमा रक़म उसे बोनस और अधिक लाभ के साथ वापस कर दी जाएगी। दूसरी सूरत ये है कि मौत के बजाए सम्भावित हादसे के लिए बीमा कराए, जैसे अपाहिज होने का, या कामों से मअजूरी के लिए, इसमें कम्पनी से तय रकम देने की बात की जाती है या ईलाज के खर्चे को अदा करने की।

माल के इन्श्योरेंस में मकान, दुकान, जानवर और गाड़ियों इत्यादि के बीमे कराए जाते हैं कि अगर उसको नुकसान पहुँचे या हानि हो तो कम्पनी तक रकम अदा करेगी। और अगर कोई हादसा पेश न आया तो पालिसी होल्डश्र को कोई मुआवजा न मिलेगा। इस इन्श्योरेंस में पालिसी होल्डर को तय किस्त अदा करनी होती है।

जिम्मेदारियों के इन्श्योरेंस का मतलब ये है कि पालिसी होल्डर कम्पनी को तय किस्त अदा करे ताकि कम्पनी तय जिम्मेदारी को पालिसी होल्डर की और से अदा करे। जैसे ट्रेफिक हादसे में हलाकत के जुर्माने की जिम्मेदारी। गाड़ी का मालिक इस गरज से इन्श्योरेंस कराता है कि अगर उसकी गाड़ी से ऐक्सीडेंट के नतीजे में किसी की मौत हो जाए तो या कोई जख्मी हो जाए तो या किसी के माल का नुकसान हो जाए तो उस सिलसिले में जो कुछ रकम अदा करनी है वो कम्पनी अदा करे। इस इन्श्योरेंस में भरी अगर हादसा पेश न आये तो कोई रकम वापस नहीं मिलेगी।

व्यापारी बीमे का आदेश

व्यापारिक बीमे के उन सभी प्रकारों को उलमा की बड़ी जमाअत ने नाजाएज करार दिया है और उसका कारण ये बताया है कि उसमें ब्याज और जुआ दोनों पये जाते हैं। बहुत मामूली संख्या के आलिमों ने उसको जाएज भी करार दिया है लेकिन उनकी दलीलें बेशक कमजोर हैं जहाँ ब्याज और जुए का मामला हो वहाँ बहुत अधिक एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है इसलिए कि फरमाया गया है कि ब्याज से भी बचो और जहाँ ब्याज का शक हो उससे भी बचो।

हाँ भारत में वर्तमान स्थिति में आये दिन होने वाले फिरकावाराना फसादों की वजह से ये बात विचार करने योग्य है कि क्या इस तरह के हालात में बीमा (जान या माल का) कराया जा सकता है? काफ़ी पहले मजलिसे तहकीकाते शरीआ ने असातीन उम्मतो के हस्ताक्षरों के साथ ये फैसला किया था : "मजलिस ये राय रखती है कि क्योंकि बीमा की सब शक्लों के लिए "रबा व क़िमार" लाजिम है, और एक कलामा पढ़ने वाले के लिए हर हाल में उसूल पर कायम रहने की कोशिश करना ही वाजिब है, लेकिन जान व माल की रक्षा व बचाव के लिए जो स्थान इस्लामी शरीअत में है, मजलिस उसे भी वजन देती है, और मजलिस इस सूरतेहाल से भी नज़र नहीं हटा सकती कि मौजूदा दौर में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर पर बीमा इन्सानी जीवन में इस प्रकार प्रवेश कर गया है कि उसके बिना सामूहिक और कारोबारी जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती है और जान व माल की रक्षा के लिए भी कई हालात में इससे

मुफिर सम्भव नहीं होता। इसलिए अत्यधिक आवश्यकता के पेशनज़र अगर कोई शख्स अपनी जिन्दगी या अपनेमाल का बीमा कराए तो शरअन इसकी गुन्जाइश है।"

असहाब फतावा में मुफ्ती महमूद साबह रह0, और मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने भी इस प्रकार के फतवे दिये हैं। फिक एकेडम ने भी खास हालात में इसकी इजाजत दी है। लेकिन इसकी इज़ाज़त देने वाले सभी लोग ये भी कहते हैं कि बीमा की पूरी रकम बीमा कराने वालों के लिए हर हाल में जाएज नहीं होगी बल्कि उसमें तफसील है और वो ये कि सिर्फ फसाद की स्थिति में जान व माल की हानि के बाद जो कुछ मिलेगा और नियम के अनुसार बीमा कराने वालों के लिए जाएज व सही होगा। और दूसरी सूरतों में केवल मिलने वाली इसी रकम का निजी प्रयोग जाएज होगा जो उसने जमा की होगी, बाकी रकम का गरीबों पर खर्च करना सही होगा।

अलब्त्ता जिम्मेदारियों के इन्श्योरेंस के बार में मशहूर फकिह मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का रूझान जाएज होने का है। यानि अगर बीमा इस उद्देश्य से कराया जाए कि अगर उसकी गाड़ी से किसी को नुकसान हो जाए तो मुआवजा कम्पनी अदा करे तो ये बीमा जाएज होगा इसलिए के ये जुर्म कत्ल करने वाले के हिस्से में आता है, शरीअत उसके लिए दैत खूं बहा लाजिम करती है जो बड़ी रकम होती है। इसलिए शरीअत ने ये रकम सिर्फ मुजरिम पर नहीं रखी, बल्कि आकिला पर रखी है, यानि या तो हर्जाना मुजरिम का खानदान अदा करेगा या "अहले दीवान" कहा जाता था, अब मुआकिल की ये व्यवस्था जाहिर है मौजूद नहीं है इसीलिए मौलाना फरमाते हैं कि "बीमे की सूरत को उस प्रकार समाज में जाएज़ होना चाहिए जहाँ ऐसे अवसर के लिए निजाम मुआकिल मौजूद न हो। बीमे की इस हालत में तो ब्याज का सवाल ही नहीं की बीमा कराने वालों को हादसा पेश न आने की हालत में कोई रकम वापस नहीं मिलेगी। अस्ल ये है कि बीमें की ये सूरत अजकबीले तबरूआत है। बीमे की किस्त अदा करने वाला अपने सह पेशा लोगों के लिए तबर्रो पेश करता है और कभी वो खुद उसमें लिप्त हो जाए तो अपने सहपेशा लोगों की मदद से फाएदा उठाता है।"

(जदीद फिकही मसाएल 4/120–121)

3. सरकारी बीमा : सरकारी बीमे से मुराद खास सरकारी रिआयतें हैं जो सरकारी नौकरों को दी जाती हैं। जैसे नौकरी खत्म होने के बाद पेन्शन, नौकरी के बीच में मौत होने पर नौकर की बेवा के लिए वजीफा। सरकार इस मद में तन्ख्वाह का एक हिस्सा काट लेती है और आम तौर से बीमें की ये शक्ल जबरदस्ती की होती है इस सरकारी और जबरदस्ती के बीमें को उलमा ने आम तौर से जाएज करार दिया है। उसकी जो रकम प्राविडेन्ट फन्ड, पेन्शन, वजीफा, मअजूरी, या जीवन बीमे के नाम से मिलती है। इसके जाएज होने की दलील देते हुए उलमा कहते हैं कि एक तो उन सभी सूरतों में हुकूमत जबरन वेतन का एक भाग काट लेती है, दूसरे इस सभी सूरतों में मिलने वाली अधिक रकम सरकार की और से काटी गई रकम के बाद जो वेतन है वही अस्ल उजरत है ब्याज और क़िमार में आवश्यक है कि दोनों और से माल हो, हालाँकि सरकार की ओर से उन सभी रिआयतों में एक और से माल है और दूसरी ओर से अमल इसलिए बीमे की ये हालतें जाएज हैं।

❑❑

सर सैयद अहमद ख़ान

सुल्तान जहाँ बेगम कॉलेज की पहली चाँसलर नियुक्त हुईं, जबकि थ्यूडोर बेक (Theodore Beck) जोकि एक अंग्रेज था प्रिंसिपल बनाया गया आरंभ में यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से एफीलिएटेड था। 1885 ई0 में यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ गया। 1920 ई0 में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया।

27 मार्च 1898 ई0 को सर सैयद अहमद खान का इन्तिकाल हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैम्पस में ही सर सैयद मस्जिद के पास उन्हे दफ़नाया गया। इस तरह मुसलमानों का एक बड़ा दार्शनिक समाज सुधारक और उद्धारक अपने हक़ीक़ी मालिक से जा मिला।

(कान्ति से ग्रहीत)

❑❑

किस्त नौ

मुस्लिम समाज

समाज सुधार

मुसलमानों की नई नस्ल की तरबियत की जरूरत

– हज़रत मौलाना सैय्यद राबे हसनी नदवी

मुसलमानों के कलचर और उसके अनुसार नई नस्ल को तैयार करना न केवल जरूरी काम है बल्कि यह अनेक पहल रखने वाला और बहुत ध्यान देने का काम है। यह माँ की गोद से शुरू होता है और जवानी के बाद तक अनेक तरीकों से जारी रहता है। इस में व्यक्तिगत रूप से देख–रेख रखने, नसीहत करने, उपयुक्त माहौल बनाने, शिक्षा और संचार माध्यमों से काम लेने तथा नैतिक असर व दबाव इस्तेमाल करने तक के तरीके अपनाने पड़ते हैं। इन तमाम तदबीरों और तरीकों से अगर सही काम लिया जाये और ध्यान दिया जाये तो ऐसी पीढ़ी तैयार हो सकती है जो अपने मजहब और सामूहिक मूल्यों की पाबन्द और उनके तकाजों को पूरा करने वाली हो और अगर इस सिलसिले में कोताही की जाती है या किसी स्टेज पर ग़फ़लत बरती जाती है तो उसी मात्रा में ऐब पैदा होता है।

ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चा उन बातों का ही असर ले जो आचरण व किरदार बनाने वाली हों, और जो मजहब व समाज के मूल्यों के अनुरूप हों, माँ की गोद और घर के अन्दर के माहौल के बाद स्कूल की मंजिल आती है। स्कूल में ऐसी शिक्षण व्यवस्था अपनाने की जरूरत होती है जो बच्चे की बुद्धि और रूझान को सही रूख पर चलाये। साथ ही मुहल्ला और समाज के माहौल को भी ऐसा बनाने की जरूरत है जिस में नइ नस्ल अच्छे मूल्यें और मकसद व जरूरत के अनुसार सही परिकल्पनाओं के साथ परवान चढ़े। ऐसा हो तो नई पीढ़ी एक बाइज्जत कौम की हैसियत से उभर सकती है, अन्यथा वह उन कौमों की ताबेदार और मुहताज कौम बन कर रह जाती है जिन के कलचर का असर उस पर पड़ता है और जिन की सभ्यता के रोब में आकर अपने को उनका मुहताज महसूस करती है।

आज मुसलमानों में उन के सही मूल्यों की कमी हो रही हैं। इस में सब से बड़ा दख्ल इसी बात को है कि एक तरफ तो इस्लामी सोच के बिल्कुल विपरीत सोच से मुकाबला है और दूसरी तरफ माँ–बाप के मरहले से लेकर स्कूल और समाज के स्टेज तक नई नस्ल को सुरक्षित रखने और उसे दूसरी कौमों की सोच और विचारधारा से बचाने से पूरी गफलत बरती जा रही है। फलतः हमारे निजी जीवन में दूसरों की नकल की वजह से वक्ती तौर पर कुछ सहूलत और राहत तो हासिल हो जाती है लेकिन दूसरों के जीवन के असर से हमारी नई नस्ल को अपने मूल्यों और आचरण से बेगानः होने और दूसरी कौमों के मूल्यो तथा परिकल्पनाओं में रंग जाने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है दूसरों की यह जीवन पद्धति, तरीके और सोच न तो हमारे भूतकाल से कोई तअल्लुक रखते हैं और न ही हमारी उन मजहबी, नैतिक और समाजिक उमंगों और उद्देश्यों से जोड़ रखते हैं जो हम को बहुत प्रिय हैं और जिन से दुनिया की कौमों के बीच हमारी पहचान और हमारी विशिष्टता कायम रही है। मुसलमान कौम एक स्टैंडर्ड, इन्सान दोस्त, साहसिक, हमदर्द, उच्च विचार वाली और नेतृत्व करने वाले गुणों से युक्त कौम है, उसके अपने उसूल और जीवन मूल्य हैं जिन से उसकी यह सिफात बनती हैं, और जिनको छोड़ देने से वह अपने इन गुणों से वंचित हो जाती है।

मुसलमानों का [illegible] इतिहास बताता है कि उनके भूत–काल में इन मूल्यों और गुणों को बाकी रखने और मजबूत करने की बड़ी हद तक फिक्र रखी जाती थी। घर में बच्चा जब समझदार होता तो उसी समय से उस के दिमाग में

यह बातें बिठाई जातीं और उस की तरबियत (दीक्षा) की पूरी व्यवस्था की जाती इस में कभी–कभी कुछ कोताही भी होती थी, लेकिन बुनियादी तौर पर नई नस्ल को मुसलमान बाकी रखने के लिये तरबियत के जरूरी और बुनियादी उसूल अपनाये जाते थे। इसी वजह से मुसलमान नस्ल इस सारी अवधि में अपने मजहब और कलचर को बड़ी हद तक मजबूती से पकड़े रही जिसका असर आज के इस बदले हुए जमाने में भी एक हद तक नज़र आता है। यद्यपि कुछ असावधानियाँ हुईं जिन के नतीजे में कुछ छोटी–बड़ी कमजोरियाँ बाकी हैं। लेकिन अब वर्तमान युग में इस्लामी तरबियत और जेहन साजी की अनदेखी के कारण इस्लाम और मुसलमानों के असल मूल्यों और असली आचरण की कमी होती जा रही है। दूसरी तरफ वर्तमान युग की सोच और तहज़ीब के प्रभाव और वर्चस्व (गल्बः) से एक खास किस्म की पेचीदगी और खराबी पैदा हो रही है। योरोप की फिक्र व तहजीब के गल्बः से पुरानी कदरें टूट कर ऐसी कदरें बन रही हैं जो इस्लाम के दिये हुए उसूल व अखलाक से न सिर्फ यह कि भिन्न हैं बल्कि उन के विपरीत और टकराव पैदा करने वाली हैं। इस के कारण भलाई और बुराई के बारे में और आचरण के सिलसिले में ऐसा बेजोड़ और असली मिजाज के विपरीत खाका बनता जा रहा है जो मुसलमानों के मिसाली जाब्तः (आदर्श जीवन संहिता) हयात व अखलाक के विपरीत उल्टी तस्वीर पेश करता है। इस्लाम में नैतिक मूल्य हया (लज्जा) से और परलोक में लेखा–जोखा के एहसास से उभरते हैं। और आर्थिक व राजनीतिक परिकल्पनायें जीवन की जायज जरूरत पूरी करने का हक रखने और दूसरों के साथ काबिले अमल हमदर्दी की भावना से उभरते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में इस जीवन की शैली की कोई परिकल्पना नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज है तो वह सिर्फ सोसाइटी की मामलात के खतरे का एहसास है। अगर किसी की नज़र में इस तरह का खरतरा नहीं तो फिर उसके लिए किसी भी अमल व हरकत में कोई रूकावट नहीं होती उनके यहाँ न परलोक में लेखा–जोखा की परिकल्पना है और न निष्ठ हमदर्दी का महत्व और मूल्य। इसके विपरीत भौतिक नफा– नुकसान की सम्भावनाओं और कारोबारी भावना रखने वाला लेन–देन सक्रिय रहता है। मर्द के लिये औरत चूंकि आकर्षण रखती है अतएव उन के यहाँ इसके लिये उसको नुमायाँ और आकर्षक अंग खुले रखना उनके कलचर में दाखिल है। इस्लाम इसको फितना का कारण समझता है। इस लिये उसके नजदीक वह बुराई का कारण है मर्द का शरीर चूंकि खिंचाव नहीं रखता इस लिये पश्चिमी सभ्यता में उसके शरीर का कुछ भी खुला रहना पसन्दीदः नहीं हे। इस के आधार पर योराप की सभ्यता में मर्द का अपने पूरे शरीर को ढकना सभ्यता के मूल्यों में दाखिल है। इस्लाम और योरोप की सभ्यताओं में अनेक विषमतायें हैं। महिला और पुरूष के मामले में, नफा–नुकसान के बारे में, सामूहिक और व्यक्तिगत जीवन के मामले में, सामान्य नैतिक गुणों और आचरण में यह अन्तर साफ दिखाई पढ़ता है।

योरोप की सभ्यता ने बराबरी की कल्पना बिना फर्क मरातिब इख्तियार किया है यह इस्लाम के बराबरी की कल्पना से भिन्न है। इस्लाम में बराबरी (मसावात) को इन्सानी हक तस्लीम किया जाता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से छोटे–बड़े, कमजोर व ताकतवर, औरत व मर्द के बीच जो अन्तर है उस का भी लेहाज जरूरी करार दिया गया है लेकिन पश्चिमी कलचर में इस अन्तर और विरोधामास की परवाह नहीं रखी गई है। अतएवं औरत मर्द के बिल्कुल बराबर समझी जाती है। यद्यपि दोनों के बीच स्वाभाविक स्तर पर अन्तर है। और दिलचस्प बात यह है कि योरोप के पूर्ण समता के सिद्धान्त के बावजूद औरत को व्यवहार में पूर्ण बराबरी का लाभ नहीं। उसको मेहनत के मामूली काम में लगाया जाता है और जिम्मेदारी

तथा उच्चे स्तर के मामलें में उसको कम हिस्सा दिया जाता है। लेकिन इस्लाम औरत को मानवीय स्तर पर मर्द के बराबर रखता है और दोनों को बराबर की इज्जत देता है। किन्तु शारीरिक स्तर पर उस की कमी को मानते हुए उसके फर्क का लेहाज करता है। और व्यवहार तथा शारीरिक दायरे में इस अन्तर को व्यवहारिक रूप में लागू करता है।

योरोप की सभ्यता और कलचर के फैलने और आम होने पर इस की रोक थाम का तरबियाती तथा इन्तेजामी बन्दोबस्त न किये जाने से इस्लामी कदरें और पश्चिमी सभ्यता गडबड होती जा रही है। और इस से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रही है। और ऐसा शिक्षा–दीक्षा की व्यवस्था के सही ढंग से काम न करने के कारण हो रहा है जरूरत थी कि पश्चिमी कलचर से वास्तः पड़ने पर मुसलमानों को इस प्रकार प्रभावित होने से बचाया जाता। और उनको उन बातों को अपनाने से रोका जाता जो इस्लाम की स्पष्ट व वास्तविक शिक्षा और इस्लाम के अपने माहौल और समाज की उचित हालत और मूल्यों से टकराती हैं। दुनिया में जो समाज और सभ्यतायें हैं उन सब के अपनी विशेष सांस्कृतिक विचारधारायें और दर्शन शास्त्र से अलग हैं इसी लिये जब हम उन पैमानों को अपनाते हैं जो दूसरे किसी मजहब या अन्य किसी सभ्यता ने अपनाये हैं तो वह असल इस्लामी दर्शन शास्त्र से मेल न खाने के कारण इस्लामी जीवन और सभ्यता की समस्याओं का हल पेश नहीं करते वह किसी हद तक अथवा सुरक्षात्मक जरूरत की हद तक जरूरत का एक इलाज तो कहे जा सकते हैं लेकिन वह इस्लामी चिन्तन तथा सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वह और अधिक समस्या खड़ी कर देते हैं। जरूरत थी कि हमारी ट्रेनिंग व्यवस्था की, हमारी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, संरचना की जाती किन्तु खेद है कि ऐसा नहीं किया गया।

यदि सही इस्लामी मूल्यों को प्रभावी ढंग से नई नस्ल के दिलों में उतारने की कोशिश समुचित रूप पर नहीं की गई तो ताकत और गल्बः रखने वाली कौमों के इन जारी व सारी मूल्यों और परिकल्पनाओं के सामने हमारी नई नस्ल बिल्कुल न ठहर सकेगी। और पूरब और पश्चिम, इस्लाम और अज्ञानता के मूल्यों के सम्मिश्रण से आचरण व कलचर का एक अत्यन्त बेजोड़ तर्ज कायम हो जायेगा जो बहुत दुखद बल्कि मुस्लिम समाज के लिये तबाहकुन साबित होगा। अतः हमारे लिये इस्लाम के बनाये हुए चिन्हों पर तरबियत की हकीमाना और प्रभावी व्यवस्था तैयार करना जरूरी है। और हिन्दुस्तान में तो और समस्या हिन्दू तहजीब और उसे जीवन के मूल्यों को भी आ गया है जिससे नई नस्ल को अपने माहौल से साब्कः पड़ता रहता है जिस की तलाफी (भरपाई) की कोई व्यवस्था नहीं। न घरों में माँ–बाप को फिक्र और न बाहर पढ़े लिखे लोगों की तरफ से कोई विशेष ध्यान। फलतः नवजवानों के लहजा और जबान में, उन के जीवन और उनके मामलात में, उनके तर्ज और रवैयः में खास फर्क नज़र आने लगा है। तहारत और हया की कल्पना कुप्रभावित हो रही है, और एक ऐसा तर्ज बनता जा रहा है जो एक मुसलमान के लिये बिल्कुल बेजोड़ है। और यह वास्तव में हमारी असावधानी और गफलत के कारण और अपनी बाज राहतों और फायदों को बुलन्द मकासिद के लिये कुरबान न कर सकने के कारण है।

योरोप के नेशन्स अपने प्रचलित धार्मिक और साँस्कृतिक साँचे में अपनी नई नस्ल को बहुत ध्यान देकर ढालते हैं। और वह इस में कामयाब हैं।

अतएवं, इस दुखद स्थिति को बदलने के लिये हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को अपनी नस्लों को अपने मूल्यों के अनुसार ढालने की तदबीर इख्तियार करना चाहिये।

जारी.....

❑❑

? आपके प्रश्नों के उत्तर ?

- मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र आलम नदवी

प्रश्न : एक शख्स के कई लड़के हैं, उनके पास जाइदाद भी है और मकान भी, उसने अपनी तमाम जाइदाद और मकान एक ही लड़के को दे दिया है और बाकी लड़कों को महरूम कर दिया है, क्या किसी बाप के लिये ऐसा करना दुरूस्त है? क्या शरीअत इसकी इजाजत देती है?

उत्तर : शरीअत में अवलाद के दर्मियान अदल और बराबरी से काम लेने का हुक्म है, अवलाद में से किसी को देना और किसी को महरूम कर देना या एक को जियादा और दूसरे को कम देना गुनाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जुल्म करार दिया है, हज़रत नुअमान बिन बशीर से मरवी है कि उनके वालिद ने उन्हें कुछ देना चाहा, वालिद की खुवाहिश थी कि वह उस पर आँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाएं जब अंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या और लड़कों को भी इसी तरह दिया है? उन्होंने अर्ज़ किया नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब मैं इस जुल्म के काम पर गवाह नहीं बन सकता।

(सहीह मुस्लिम)

इस रिवायत से मालूम हुवा कि वालिदैन माल व जाइदाद की तकसीम में अवलाद के दर्मियान अदल से काम लें और नाइन्साफी से बचें।

प्रश्न : एक शख्स ने माले मतरूका में सिर्फ एक छोटा सा मकान छोड़ा है, मकान इतना छोटा है कि एक फैमिली रह सकती है वारिसीन में दो भाई हैं दोनों चाहते हैं कि मकान हम ले और दूसरे भाई उसकी आधी कीमत ले ले, वैसी सूरत में मकान किसको दिया जाए और आधी कीमत किस को?

उत्तर : वैसी सूरत में शरअई तरीका यह है कि कुर्आ अन्दाजी के जरीये उन दोनों भाईयों को दे दिया जाए और जिस के नाम कुर्आ निकले वह उस की आधी कीमत दूसरे भाई को दे दे, शरीअते इस्लामी में कुर्आ अंदाजी से काम लेने की इजाजत है,

हज़रत आइशा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पर तशरीफ ले जाते तो अजवाजे मुतहरात के दर्मियान कुर्आ अन्दाजी फरमाते एंक बार हज़रत आइशा और हज़रत हफसा के नाम कुर्आ निकला चुनान्चह यह दोनों उम्महातुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले गईं। लेकिन अगर दोनों भाई कुर्आ अन्दाजी पर राजी न हो तो

- फौजिया सिद्दीका

आखरी सूरत यह है कि उस मकान को फरोखत कर के दोनों के दरमियान रकम निस्फ निस्फ तकसीम कर दी जाए।

प्रश्न : आज कल लड़कियों की शादी में लड़के वालों के मुतालिबात पर काफी रकम देनी पड़ती है, अगर यह रकम वारिस की तकसीम के वक्त लड़को कके हिस्सों में से मिनहा कर दी जाए तो शरअन इसकी गुन्जाइश है या नहीं? बाज लोग अपनी बहनों से तकसीम मीरास के वक्त यही कहते हैं कि तुम्हारा हिस्सा शादी के मौके से तलक था जहेज में दे दिया? क्या उन लड़कियों को विरासत में हिस्सा मिलेगा या नहीं?

उत्तर : लड़कियों की शादी के मौके से जो रकम मजबूरन देनी पड़े उसकी हैसियत हिबा की होती है, उसकी वजह से विरासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस लिए लड़कियों का हक़के विरासत बाकी रहेगा, क्यों कि विरासत का तअल्लुक उस जाइदाद से है जो मौत के बाद बच रही हो, और लड़कियाँ भी अस बची हुई जाइदाद में हिस्सा पाएंगी।

प्रश्न : निकाह के एक साल बाद विलादत के मौके से एक औरत का इन्तिकाल हो गया उस औरत के जेवर, उसके वालिद के कब्जे में हैं और सामान जहेज शौहर के कब्जे में दोनों का दोनों चीजों पर अपनी–

अपनी मिलकीयत का दअवा है? इस बारे में हुक्मे शरई क्या है?

उत्तर : जेवरात और कुल सामान जहेज और वह तमाम चीजें जो औरतों की मिलकियत थीं, माले मतरूका में शामिल होंगी और तमाम वरसे के दरमियान तकसीम होंगी अगर वरसे में सिर्फ शौहर और औरत मरहूमा के वालिदैन हैं तो निसफ माल शौहर का होगा और बाकी निसफ में एक तिहाई माँ का हिस्सा होगा और बकया वालिद का हिस्सा होगा।

प्रश्न : एक शख्स को उनके वालिद ने अपनी जिन्दगी में आक कर दिया था और ऐलान कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, वालिद का इन्तिकाल हो गया, विरासत की तकसीम हो रही है, वारिसीन उस शख्स को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं जब कि आक शुदह शख्स का दअवा है कि मैं भी वारिस हुँ, मुझे विरासत में हिस्सा मिलना चाहिये, हुक्मे शरअ क्या है? मुत्तलअ करें।

उत्तर : शरीअते इस्लामी में आक का एतिबार नहीं है, मजकूरह आक शुदह शख्स को अपने वालिद की जाइदाद में आम उसूल विरासत के मुताबिक हिस्सा मिलेगा।

प्रश्न : तालाब में मौजूद मछली की खरीद–फ़रोख का जैसा मामला किया जाता है, शरीअत की नज़र में यह कैसा है?

उत्तर : तालाब में मछली की खरीद–बिक्री का मामला कई बार शरीअत के उसूलों के विरुद्ध तय पाता है। इसलिए यह जरूरी है कि इसके अहकाम अच्छी तरह समझ लिये जाएं। किसी चीज को बेचने के लिये दो बातें जरूरी हैं। पहली यह कि जो चीज बेची जा रही है वह बेचने वाले की मिल्कियत में हो और दूसरी यह कि उसकी हवालगी और सुपुर्दगी मुमकिन हो। अगर वह इस समय बेची जानेवाली चीज खरीदार के हवाले करने में सक्षम नहीं हो तो यह बिक्र–दुरुस्त नहीं होगी। मिसाल के तौर पर किसी भागे हुए जानवर या किसी खोयी हुई चीज को बेचा जाए, हालाँकि उसकी (बेचने वाले की) ही मिल्कियत है, लेकिन इस समय वह उसे हवाले करने की स्थिति में नहीं है, तो यह बिक्र नाजायज होगी।

मछली के बारे में भी यही बात है अगर मछली बेचने वाले की मिल्कियत में है और वह उसे आसानी से हवाल करने की स्थिति में नहीं हो या अभी वह उसका मालिक ही बना हो तो खरीद–बिक्री का मामला नाजायज होगा।

मछली का मालिक बनने की तीन सूरतें हैं : पहली यह कि मछलियों के पालने और उसे विकसित करने के लिए खास तौर पर किसी ने उन्हें तालाब में रखा हो, तो अब इस मछली और उसकी नसल का वही मालिक माना जाएगा। इसी सूरत यह है कि मछली तो तालाब में उसने नहीं डाली हो, लेकिन मछलियों के तालाब में आने या आने वाली मछलियों के वापस नहीं जाने के लिए उसने कोई तरकीब की हो, तो इस तालाब की मछलियों का मालिक वही होगा। तीसरी सूरत को पकड़ कर उसे अपने बर्तन में सुरक्षित कर ले।

जिस सूरत में आदमी मछली का मालिक नहीं हो पाता है, यह है कि किसी का तालाब हो उसमें खुद से मछलियाँ आ जाएं। इसके लिए उसने कोई कोशिश नहीं की हो। सिर्फ यहि बात कि तालाब उसकी जमीन में है, इसके लिए काफी नहीं है कि उसे मछलियों का मालिक माना जाए।

मछली को आसानी के साथ खरीदार के हवाले कर देने की दो सूरत है : एक यह कि मछली को पकड़ कर किसी बर्तन में सुरक्षित कर लिया जाए, जैसा कि आम तौर पर होता है। दूसरी सूरत यह है कि मछली किसी ऐसे छोटे गढ़े में हो, जहाँ से निकालना आसान हो।

स्पष्ट है कि जब आदमी मछली का मालिक ही नहीं हो तो खरीद–बिक्री दुरुस्त हो ही नहीं सकती और जब मछली का मालिक हो जाए तब भी उसी समय दुरुस्त होगी जब मछली या तो उसके पास किसी बर्तन में मौजूद हो या किसी ऐसे छोटे गढ़े में हो जिससे खरीदार के हवाले करने में कोई परेशानी नहीं हो।

(जदीद फिक्ही मसाइल, भाग–1 से)

❑❑

कब्रिस्तान व मज़ारात

– इदारा

मुसलमानों के कब्रिस्तान की जियारत, मुसलमानों के लिए मस्नून है खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहुद और जन्तुल बकी तशरीफ ले जाया करते थे और उनके लिए मग़फिरत की दोआ फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में कब्रिस्तान में जाने से रोक दिया था फिर आप ने कब्रिस्तान जाने की इजाजत दे दी और फरमाया कब्रों की जियारत क्या करो इससे मौत और आख़िरत की याद ताजाह होती है (यह एक हदीस का मफहूम है) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया कि जब तुम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दाखिल हो तो इस तरह उनको सलाम पेश करो :

''अस्सलामु आलैकुम या अहलल कुबोरि मिनल मुअमिनीन वल मुसिलिमीन अन्तुम लना सलफुन व नहनु लकुम तबओन व इन्ना इन्शा अल्लाहु बिकुम लाहिकून।'' मुखतलिफ हदीसों में इससे मिलते जुलते सलाम हैं उन में से कोई सलाम याद कर लेना चाहिये और जब कब्रिस्तान जियारत को जाएं तो वह सलाम पेश करें। कुछ रिवायात में आता है कि मुसलमान मुरदे मुसलमानों का सलाम सुनते और जवाब देते और यह भी जान लेते है कि किसने सलाम पेश किया। किसी रिवायात में यह नहीं गुजरा कि सलाम के अलावा भी मुरदे कुछ सुनते हैं इस लिए मुरदों से कोई और बात कहना दुरूस्त नहीं है।

हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें मूनव्वर पर खुलफाए राशिदीन और दूसरे सहाबा हाजिर हुवा करते थे उन से दुरूदों सलाम के अलावा दूसरी हाजात तलब करने की कोई रिवायत नहीं मिलतीं है सहाबा किराम जन्नतुल बकी ओर उहुद के शहीदो की जियारत को जाया करते थे वहाँ सलाम और मगफिरत की दुआ के अलावा सहाबा किराम से और कुछ साबित नहीं है।

एक रिवायत से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे तो फरमाया इस पर अजाब हो रहा है फिर आप ने दो हरी टहनियाँ उस कब्र पर रख दीं और फरमाया इन हरी टहनियों के जिक्र से अजाब में कमी होगी। (हदीस का मफहूम)

कुछ लोगों ने इस से यह निकाला कि कब्रों पर फूल चड़हाना इस नीयत से जाइज है कि फूल के जिक्र से कब्र वाले के अजाब में कमी होगी यह खयाल बिल कुल गलत है पहली बात तो यह कि जिस कब्र पर लोग फूल चड़हाते हैं कोई नहीं मानता कि उनको अजाब हो रहा है बल्कि साहिबे कब्र को बुजुर्ग मानते है और यह फूल उनको बतौर हदया व नज़राना पेश करते है जिस की उनके पास कोई दलील नहीं है

दूसरी बात फूल ही नहीं कुछ लोग कब्र पर चादर और मिठाई वगैरा चड़हाते हैं जिस की तालीम न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी न सहाबाए इकराम से साबित है।

तीसरी बात इन चड़हाओं के लिए लोग नज़रें और मन्नतें मानते हैं जो कभी–कभी शिर्क तक पहूँचा देता है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस ने हमारे दीन में नई बात निकाली जिस का मेरी तरफ से कोई सुबूत नहीं वह मरदूद है। (हदीस का मफहूम) और फरमाया दीन में हर नई बांत निकालना गुमराही है। (हदीस का मफहूम) और फरमाया कब्रों को पक्का न करो न उन पर कोई इमारत बनाओ। (हदीस का मफहूम)

मजारात

मजार उस जगह को कहते हैं जिस की बार–बार जियारत की जाए लोग बूजुर्गों की कब्रों की बार–बार जियारत करते हैं इस लिए उनकी कब्र को मजार कहा गया वैसे हदीस में कब्र के लिए मजार का लफ्ज कहीं नहीं आया है।

शेष पृष्ठ 30

किस्त 28

हम कैसे पढ़ायें?

शिक्षक बन्धुओं के लिये

- डॉ0 सलामतुल्लाह

समाजियत

जहाँ डाल्टन प्लान ने जमाअती तालीम को खत्म करने की कोशिश की है, वहाँ उसने अमेरीका में एक नये आन्दोलन को भी जन्म दिया है जिसे "समाजियात" कहते हैं। इस शब्दावली के दो भावार्थ हैं, एक आम और दूसरा खास। आम अर्थ विस्तृत है कि शिक्षा का तअल्लुक जीवन के आम मामलों से हो और सकूल का बाहर की दुनिया से तअल्लुक हो। "सकूल में लोकतंत्र" के नाम से भी इसे जाना जाता है। शिक्षा न केवल व्यक्तियों जुदागाना जीवन से सम्बन्धित है बल्कि उन के सामूहिक जीवन अर्थात समाज से भी। शिक्षा का यह नजरिया बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यवस्थित टोली के बिना व्यक्तिगत जीवन हर समय खतरे में हैं जैसा कि मानव इतिहास के प्राराम्भिक काल में था। जब कि "जिस की लाठी उसकी भैंस" का कानून हर जगह चलता था। इस का मतलब यह नहीं है कि तालीम को संचा एक ही किस्म के लोग डालने लगे। व्यक्तियों की विविधता वास्तव में समाज की जान है। अगर सब एक समान होते तो समाज इतनी तरक्की नहीं कर सकता था।

"समाजियत" और तालीम

लेकिन निस्सन्देह इस विविधता के बावजूद सब का मकसद एक ही होना चाहिये अर्थात व्यक्तियों की व्यक्तिगत क्षमताये समाज की भलाई के लिये काम आयें। व्यक्तित्व का सम्मान इस लिये नहीं करना चाहिये कि वहएक वयिक्त की मिल्कियत है, बल्कि इस लिये कि वह पूरे समाज के लिये लाभप्रद होता है।

डेवी की किताब "स्कूल और सोसाइटी", इस रूझान को बहुत अच्छे पैराये में स्पष्ट करती है। "समाजियत". का आम पहलू हमारी उन तमाम प्रयासों में सुस्पष्ट दिखता है, जिस के द्वारा हम व्यक्ति को महसूस कराते हैं कि वह समाज का एक अंग है।

"समाजियत" का दूसरा अर्थ शिक्षा के शैक्षणिक पहलू तक सीमित है। अर्थात किसी विषय का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाये जिस में सब के लिये एक संयुक्त उद्देश्य और सम्मिलित अभिरूचि हो।

"समाजियत" के सिद्धान्त से साहित्य के पाठ का यह उद्देश्य नहीं है कि बच्चों के ज्ञान की जाँच की जाये या उनकी मालूमात बढ़ाई जाये बल्कि बच्चों में सहकारिता के द्वारा गहरे सम्बन्ध पैदा किये जायें। मसलन एक बच्चा उस टुकड़े को

अनुवादः एम0 हसन अंसारी

पढ़े, दूसरा उसके कठिन शब्दों तथा मुहाविरों के अर्थ शब्द–कोष में तलाश करे, तीसरा इन अर्थों की मदद से उस का मतलब निकाले और फिर सब मिलकर सोचे और सराहें। इस प्रकार मिल जुल कर काम करने से समय की बचत होगी, और काम भी अच्छा होगा और बच्चों में सामाजिक मूल्यों का एहसास पैदा होगा।

असल में यह समाजियत का बहुत संकुचित अर्थ है और इस से बड़ा खतरा है कि कोई बच्चा किसी काम को पूरी प्रक्रिया से वाकिफ तो होगा लेकिन उसे कायाबी से खुद न कर सकेगा। लेकिन दूसरे हिस्से जो उसके साथियों ने पूरे किये हैं, अच्छी तरह न करेगा। जिन्दगी में हमेशा अच्छे साथी नहीं मिलते जिन की मदद से कोई काम किया जा सके। बाज काम हमें अकेले करने पड़ते हैं। औा उनके अंशों से भली प्रकार अवगत न होने के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नतीजा (निष्कर्ष)

समाजियत का एक व्यवहारिक परिणाम यह हुआ है कि स्कूल के हर काम में सोपान वार जीवन की सच्चाइयों को दाखिल किया जा

रहा है। वह प्रश्न और समस्यायें जो यथार्थ से परे और बिल्कुल असम्बद्ध होते थे, अब तर्क किये जा रहे हैं गणित में विशेषकर ऐसे बहुत से सवाल दिये जाते थें जो बड़े हास्यास्पद मालूम होते थे, जेसे दीवारें जिन की मोटाई तीन फीट लम्बाई बीस फीट और ऊँचाई पन्द्रह फीट है, चन्द मिनट में बन कर तैयार हो सकती थीं। अगर सवाल की शर्तों में काफी आदमी एक साथ काम पर लगा दिये गये हों। इस के अनर्गल होवे में किसी दलील की जरूरत नहीं। दुनिया की वर्तमान व्यवस्था में यह बात असम्भव है। अलाउद्दीन का चिराग किसी के पास हो तो दूसरी बात है। कितने ही आदमी एक साथ क्यों न लगा दिये जायें दीवार चन्द मिनट में पूरी नहीं हो सकती। जाहिर है कि वह शिक्षा जिसमें इस प्रकार की विषय वस्तु बच्चों के दिमाग में ठूंसी जाये उन्हें जीवन की वास्तविक समस्याओं से बहुत दूर रखेगी। "समाजियत" के अभियान ने शिक्षा पर बहुत आनन्द दायक असर डाला है। जीवन की व्यास्सतायें सहज रूप में स्कूल में दाखिल की गयी हैं और इन के द्वारा मानसिक, सामाजिक व नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

प्रोजेक्ट. मेथड

समाजियत के सिद्धान्त पर जो विधियाँ आधारित पैट्रिक ने इस विधि की परिभाषा इस प्रकार की है :

"प्रोजेक्ट एक बामकसद काम है जिसे दिल लगा कर सामाजिक माहौल में किया जाये।" दूसरे शब्दों में केवल वह व्यस्ततायें प्रोजेकट कहलाने की पात्र हैं जिनका उद्देश्य छात्र समझते हों, अर्थात उन्हें यह मालूम हो कि जो काम वह करने वाले हैं उस का मकसद क्या है, उसकी जरूरत और उसका महत्व क्या है और फिर यह बातें समझ लेने के बाद इस काम को इस प्रकार किया जाये जैसे कि वह स्कूल के बाहर सामान्य जीवन में किया जाता है, उसकी तमाम खूबियाँ बरकरार रहनी चाहिये बच्चों में वह तमाम गुण पैदा होना चाहिये जो इस काम से पैदा हो सकती हैं।

प्रोजेकट मेथड को मात्र एक शिक्षण विधि नहीं समझना चाहिये। वह इस से कहीं बढ़कर है। यह एक व्यवस्था है, एक जीवन दर्शन, जिन्दगी का नजरिया और सीखने सिखाने का एक नजरिया। यह बहुत से आधुनिक शैक्षणिक नजरियों से मिलकर बना है। और इस में डेवी का नजरिया तालीम अर्थात "इल्म बजरियः अमल" (लर्निंग बाई डूइंग) बड़ी हद तक कार्यरत है। इसके अनुसार विषय–वस्तु को एक सुव्यवस्थित कुल के तौर पर हासिल किया जाता है। यहाँ विषय–वस्तु तार्किक तौर पर तरतीब देने के बजाय मनावैज्ञानिक एतबार से क्रमबद्ध किया जाता है। शिक्षा ऐसी व्यस्तताओं के द्वारा दी जाती है जो बच्चों के लिये रोकच हों और उद्देश्य पूर्ण भी। जिन्हें वह अपना काम समझें और स्वेच्छा से हासिल करने की कोशिश करें।

प्रोजेकट के सोपान

प्रोजेकट की प्रक्रिया के चार सोपान हैं : (i) मकसद को विश्वास और उसके अनुसार काम करने का इरादा करना। **(ii)** प्रस्तावित कार्य का खाका बनाना। टीचर को मालूम होना चाहिये कि वह इस काम में बच्चों का मार्ग–दर्शन कहाँ तक करे, और मदद दे। और कहाँ तक उन्हें आजादाना काम करने की इजाजत दे। कभी–कभी बच्चों को कुल काम की जिम्मेदारी दे देने से बहुत गल्त नतीजे निकलते हैं और तब बच्चे शिकायत करते हैं कि टीचर ने उन्हें उन की गल्तियों से समय रहते आगाह नहीं किया और उनकी मेहनत आकरत गई। अतः इस स्टेज पर टीचर का मार्ग–दर्शन बहुत जरूरी है। **(iii)** क्रिया करना प्रारूप के अनुसारकाम करना जब तक कि काम पूरा न हो जाये। **(iv)** कामयाबी का अन्दाजा करना बच्चों को इसका शौक दिलाना चाहिये कि वह अपने काम के नतीजे को स्वयं जाँचे। इस से वह कमियाँ नज़र आ जायेंगी जिन के कारण सफलता में रूकावट होती है और इस से आगे के काम में मदद मिलेगी।

गल्त फहमियाँ (भ्रम)

प्रोजेक्ट मेथड के बारे में कुछ भ्रम हैं, उन्हें साफ कर देना जरूरी

है। कुछ लोग यह समझते हैं कि यह विधि केवल उसी समय अपनायी जा सकती है जब कि हाथ से काम किया जाये जिस में हथौड़े, कीलें, लेई, रंग, कैंचियाँ, रंगीन कामगज प्रयोग में लाये जा रहे हों। अर्थात चारों तरफ एक हंगामा हो। लेकिन यह विचार सही नहीं है। कोई उद्देश्य जिसे प्राप्त करने में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना या हुनर सीखने पड़े, शैक्षिक ऐतबार से प्रोजेक्ट कहा जायेगा। यह विचार गल्त है कि प्रोजेक्ट के लिये किसी खास व्यवस्था की जरूरत है। कुछ टीचर्स के लिये यही बहाना होता है कि वह प्रोजेक्ट विधि इस लिये नहीं अपना सकते कि उनके स्कूल में काफी सामान नहीं है। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट बिना किसी लम्बी चौड़ी व्यवस्था के सुचारू रूप से किया जा सकते हैं। इनके लिये सामान की जितनी आवश्यकता होती है वह स्कूल में मौजूद होता हैं किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में असाधारण सामान की जितनी कम जरूरत होगी बच्चों को अपनी उपज और अनेकता से काम लेने के उतने अधिक अवसर मिलेंगे।

यह बात भी गल्त है कि प्रोजेक्ट मेथड सिर्फ बच्चों की कक्षा में कामयाब हो सकता है। इसके विपरीत सच यह है कि ज्यादा बच्चों की कक्षा इस काम के लिये अधिक उपयुक्त है क्यों कि ऐसी दशा में प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए अधिक रायें और सुझाव प्राप्त कर सकेंगे।

यह भी सही नहीं कि यह विधि सिर्फ तेज बच्चों के लिये प्रयोग किया जा सकता है। यह तेज और मन्द बुद्धि सभी के मामले में समान रूप से कामयाब होता है बल्कि वह प्रोजेक्ट जिस में हाथ से काम करना पड़ता है मन्द बुद्धि वाले बच्चों के लिये सामान्य किताबी शिक्षा की अपेक्षा अधिक लाभप्रद साबित होते हैं।

निर्देश

प्रोजेक्ट चलाने में निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिये :

(i) प्रोजेक्ट के चुनाव में सावधानी बरतें। इसमें बच्चों का मार्गदर्शन करें। ऐसा न हो कि बच्चे ऐसे काम चुन लें जिन में समय और शक्ति तो बहुत खर्च हो किन्तु शैक्षिक लाभ बहुत कम हो।

(ii) व्यक्तिगत प्रोजेक्ट से सामूहिक प्रोजेक्ट बेहतर हैं प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों में कुछ सामाजिक गुण जैसे सहभागिता, जिम्मेदारी तथा आत्म संयम पैदा करना है। इन गुणों को पैदा करने के लिये केवल ऐसे प्रोजेक्ट उचित हो सकते हैं जिन मे बहुत से लड़के मिल जुल कर काम करें।

(iii) विभिन्न प्रोजेक्ट एक दूसरे से सम्बन्ध होने चाहिए। इसके लिये टीचर के मार्गदर्शन की जरूरत है। प्रोजेक्ट को इस प्रकार क्रमबद्ध करना चाहिये कि एक की कड़ी दूसरे से मिलती चली जाये और जानकारी के सिलसिले में कोई पोल बाकी न रह जाये।

(iv) प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चों ने जो बातें सीखी हैं उनको विधिवत क्रमबद्ध करने की सीख देनी चाहिये। प्रोजेक्ट मेथड में विषय–वस्तु की मनोवैज्ञानिक क्रमबद्धता होती है। तार्किक क्रमबद्धता नहीं होती। मिसाल के तौर पर दुकान के प्रोजेक्ट में गुणा के नियम का प्रयोग प्रायः होता है। लेकिन संख्या का गुणा किसी विशेष क्रम से व्यवहार में नहीं आती। पहाड़ा गुणा का एक नियमित सिलसिला है और आसानी से याद भी किया जा सकता है। यह संख्याओं की एक तार्किक क्रमबद्धता की मिसाल हैं प्रोजेक्ट के द्वारा सिर्फ मौके की जरूरत को पूरा करने के लिये शिक्षा दी जाती है। जाहिर है कि इस की स्थायी कोई हैसियत नहीं हो सकती जैसा कि तार्किक तौर पर प्राप्त किये हुए ज्ञान की होती है। जिसे हर मौके पर इस्तेमाल किया जा सके। अतः आवश्यक है कि जो ज्ञान प्रोजेक्ट के द्वारा सिखाया जाये उसे तार्किक तौर पर क्रमबद्ध करने में बच्चों की मदद की जाये ताकि वह उनकी मानससिक पूंजी का एक स्थायी अंश बन जाये।

विशेतायें

इस विधि से बच्चे जो कुछ सीखते हें उस के लिये किसी बाहय उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती। जो ज्ञान अर्जित किया जाता है

उसके अर्थ बच्चे को अच्छी तरह मालूम होते हैं क्यों कि उसका सम्बन्ध उसके जीवन से होता है जिसे वह भली प्रकार सामझता और महसूस करता है। और यह कि सारी मालूमात में आपस में सम्पर्क होता है। यहाँ विषय अलग–अलग नहीं पढ़ाये जाते जिस की कमियाँ अध्याय चार में बातई गई हैं। यहाँ बच्चे किसी व्यस्तता अथवा समस्या के बारे में किसी विषय की मालूमात हासिल करते हैं। जैसे कक्षा के लिये एक पत्रिका निकालने के प्रोजेक्ट में कला, भाषा, सुलेख, इतिहास, भूगोल, गायन, गणित, स्वास्थ्य शिक्षा आदि सभी विषयों का काम होता है। इस प्रकार का प्रोजेक्ट शिक्षा सत्र के एक बड़े भाग में फैलाया जा सकता है और अनेक छोटी–छोटी योजनाओं में बंटा होता है। उदाहरणार्थ पत्रिका के प्रोजेक्ट में यदि एक शीर्षक नगर पालिका है तो इस के लिये जो जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी उनका सम्बन्ध विभिन्न विषयों से होगा। नगर या जिला के अफसर जैसे जिला विद्यालय निरीक्षक, हेल्थ इन्सपेक्टर, आदि को सम्बन्धित कार्यालयों में जाकर जरूरी बातें मालूम करनी पड़ेगी। फिर इन्हें पत्रिका में प्रकाशित कर दिया जायेगा। या दुकान के प्रोजेक्ट के लिये कुल विषय गणित, सामान्य विज्ञान, कला, भूगोल, भाषा का काम समयानुसार किया जायेगा। दुकान के लिये चीजें क्रय करने के लिये कारोबारी पत्र व्यवहार, गणित और भूगोल की जानकारी की जरूरत होगी।

प्रयोग की शर्तें

हमारे देश में कुछ स्कूलों में यह विधि अपनायी गई है। मोगा (पंजाब) और प्राथमिक स्कूल जामे मिल्लिया दिल्ली में यह काम विशेषकर होता है। इस विधि को कुल शैक्षिक बीमारियों का इलाज समझ कर प्रयोग नहीं करना चाहिये नहीं तो निराशा होगी। अन्य विधियों की तरह यह भी एक विधि है जिस के द्वारा कुछ चीजें अच्छी तरह सिखाई जा सकती हैं। एक अंश के रूप में इसे काम में लाना लाभदायक होगा।

(जारी.....)

❑❑

बरसाती कुकुरमुत्तें की...

मोहल्लेवार घूम–घूमकर स्कूल में बच्चों का एडमीशन कराने के मकसद से अभिभावकों से संपर्क करना पड़ता है तथा उनके माध्यम से विद्यालय में जितने छात्र–छात्राओं का दाखिला होता है, उसी के हिसाब से उनका मासिक वेतन निर्धारित किया जाता है। शहर में जिसके मकान में चार कमरे हैं, उसने माँटेसरी तथा किंडर गार्टन स्कूल का धँधा शुरू कर दिया। एक बार स्कूल चल गया तो फिर क्या पूछना। हल्दी लगे न फिटकिरी, रंग चोखा। ऐसे इंग्लिश मीडियम के स्कूल दुधारू गाय हैं। मनमानी और जी भकर दुहते रहिये। आश्चर्य तो इस बात का है कि प्रदेश में जनपदवार ऐसे कितने विद्यालय हैं उसका स्पष्ट तथा सम्पूर्ण लेखा–जोखा तथा आँकड़ा खुद शिक्षा विभाग के पास भी नहीं उपलब्ध है और न जिला प्रशासन का उन पर कोई अंकुश है। नगरपालिका, नगर– महापालिका, टाउन एरिया तथा जिला पंचायत द्वारा संचालित प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था खस्ता हैं इन स्कूलों में व्याप्त बदइनितजामी के चलते शीघ्र कोई अभिभावक इन विद्यालयों में अपने पाल्य पुत्रों को भेजकर उनका भविष्य खराब नहीं करना चाहता जिसका फायदा नर्सरी तथा माँटेसरी स्कूलों के हक में जा रहा है। इस स्थिति का लाभ उठाकर नर्सरी तथा माँटेसरी स्कूलों के संचालक–व्यवस्थापक बहती गंगा में खुलकर हाथ धो रहे हैं। अभिभावकों का अधिकाधिक दोहन कर तथा अध्यापकों को न्यूनातिन्यून वेतन देकर वे हर माह अंधाधुंध बेहिसाब अथोपार्जन करते हैं। सरकारी स्त॰ पर है कोई जो उनके आय व्यय को ऑडिट करे? शिक्षा की दुकानदारी सालों से बेखौफ़ जारी हे। बरसाती कुकुरमुत्तों की तरह बेहिसाब फल–फूल रहे ये स्कूल विद्या मन्दिर हैं या शोषण के अड्डे– यह स्वयं स्पष्ट है।

❑❑

हज पर जाने वाले खुश नसीबों !

- इदारा

अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, अल्लाह को लाख–लाख शुक्र और उसका एहसान है कि उसकी तौफीक से आप हज की इबादत अदा करने जा रहे हैं जो साहिबे इस्तिताअत पर जिन्दगी में एक बार फर्ज है, फिर नफ्ल हज अल्लाह ने जो किसमत में लिख रखे हों।

यूं तो सभी इबादतें नमाज, रोजा, जकात, इखलास व नीयत के जरीअे तौहीदे खालिस पर जमाए रखती हैं। जब आप नमाज में अल्लाहु अक्बर कहते हैं तो अल्लाह के सिवा किसी की बड़ाई जेहन में नहीं रहती जब आप "इय्याकनअबुदु व इय्याकनस्तअीन" कहते हैं तो गैरुल्लाह की इबादत का तसव्वुर भी आप के दिमाग मे नहीं फटकता न किसी गैरुल्लाह से मदद तलब करने का खयाल आता है न किसी गैरूल्लाह से मदद चाहने की जरूरत ही महसूस होती है। रोजा सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिये रखते हैं, जकात सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तअमील में अदा करते हैं, फिर भी शैतान कहीं वरगालने में कामयाब हो जाता है।

हमको चाहिये कि हम उस वाकिअे को याद रखें जब दादा आदम अ0 का पुतला बना कर अल्लाह तआला ने उस में रूह फूंक कर दादा को जिन्दगी दी थी तो उनके इकराम में फिरिश्तो को हुक्म दिया था कि वह आदम को सजदा करें, सब सजदे में गिर गये उन में अजाजील भी था जो फिरिश्तो में तो मौजूद था मगर वह जिन्नी था उसने गुरूर में सजदा करने से इन्कार कर दिया और अल्लाह तआला के सबब पूछने पर साफ कह दिया कि आप ने इन को मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से (यअ़नी मैं अफजल मैं इन को क्यों सजदा करूं) उसने यह न सोचा कि अल्लाह का हुक्म सबसे अफजल है। अल्लाह तआला ने उसके इस घमन्ड की यह सजा दी कि उस आली मकाम से उतरने और निकल जाने का हुक्म दे दिया। सजदे का हुक्म तो इख्तियारी था (कर लेता इनआम पाता न किया मरदूद हुआ) अब यह हुक्म इजबारी था, शैतान मरदूद व मलऊन हो गया और इबलीस व शैतान कहा जने लगा लेकिन उसी वक्त उसने रब से कियामत तक कि लिये यह कहते हुए छूट माँगी कि मैं आदम की औलाद को बहका कर उनसे भी नाफरमानी कराऊँगा। अल्लाह की मसलहत उसको अपने बन्दों की जाँच मतलूब थी शैतान को छूट दे कर एअलान कर दिया कि जो भी शैतान की पैरवी करेगा उन सब को शैतान के साथ जहन्नम में झोक दूंगा और उन सब से जहन्नम भर दूंगा।

बस शैतान दादा के पीछे लग गया और दादा व दादी को बहका कर जन्नत के ममनूऊ (निषिद्ध) दरखत से खिला कर अल्लाह को नाराज कराने में कामयाब हो गया। यह भी अल्लाह की मसलहत थी दादा को जमीन की खिलाफत संभालनी थी दादा, दादी, शैतान सब जमीन पर उतार दिये गये।

दादा की औलाद का सिलसिला शुरूअ हुआ इब्लीस की भी जुर्रीयत बढ़ने लगी, शैतान को कियामत तक छूट है, उसमें गफलत नहीं है वह ता कियामे कियामत औलादे आदम को बे राह करने की कोशिश में लगा रहेगा।

हज पर जाने वाले खुश नसीबो और उम्मते मुस्लिमा के फरजन्दों! हमेशा शैतान से अल्लाह की पनाह माँगते रहो और जाँचते रहो कि शैतान कहीं आप की शजरे ममनूआ खिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है यह जाँच आप भी करें और

हम भी करें जब दादा को उसने बहका लिया जो अल्लाह के नबी थे तो हम आप किस शुमार में हैं? खैर शैतान किसी नबी को तो बहका नहीं सकता कि वह अल्लाह की हिफाजत में (मअ़सूम) होते हैं दादा से जो हुआ उसमें अल्लाह की खास मसलहत थी, लेकिन हम सब के लिये तो वह छूट लिये ही है। हाँ हम में भी वह उन को बहका सकेगा जो खुद उससे दोस्ती करेगे, अपनी कजफहमी से उस की पैरवी करेंगे, किसी को अल्लाह का साझी ठहराएंगे लेकिन जो सिदक दिल से ईमान लाएंगे, अल्लाह पर भरोसा करें गे, अल्लाह की बन्दगी व इताअत में रहेंगे उन पर उस का इख्तियार न चलेगा। यह जो कुछ कहा जा रहा है यह सब कुर्आन व हदीस में मौजूद है।

हमारा फर्ज है कि हम अपनी जिन्दगी के कामों को जाँचते रहें और जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तअलीम से अलग हो , जो दीनी काम सहाब–ए–किराम के दीनी कामों से अलग हो उसे तर्क करें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन को अपना लें और जिन से रोका है उनसे रुक जाएं।

हज ऐसी इबादत है जो फर्ज की हैसीयत से जिन्दगी में एक बार अदा होता है जो एक लिहाज से जिहाद की हैसीयत रखती है जिस में जिस्म व माल और वक्त सभी कुछ लगता है नतीजतन हाजी को बखशिश का परवाना मिल जाता है, इस लिये शैतान हज्ज को खराब करने में एडी चोटी का जोर लगा देते हैं। हर मोमिन को चाहिये कि हज से पहली दीनी लिहाज से अपनी ओवर हालिंग कर डालें।

सबसे पहले तो हक्कुल इबाद पर नज़र डालें, किसी को गाली दी है, नाहक मारा है, नाहक सताया है पहली बात तो इसको गुनाह समझ कर इस पर शर्मिन्दा हो, अल्लाह तआला से माफी माँगे और आइन्दा ऐसा न करने का पक्का इरादा करे फिर जिस का हक मारा है अगर वह इस दुन्या में नहीं है, तो उसके लिये दुआए मगफिरत करे अगर वह जिन्दा है तो उससे जाकर मुआफी माँगे। याद रखें हक्कुल इबाद (बन्दो के हुकूक) उस वक्त तक मुआफ नहीं होते जब तक बन्दा खुद न मुआफ कर दे। लिहाजा जैसे भी हो बन्दे से मुआफी चाहें, गाली मार के अलावा गीबत भी गुनाह है और हक्कुल इबाद है। अगर किसी का माल लिया है तो याह उस पर बड़ा गुनाह है या तो माल वापस करें यो जिस का माल लिया है उससे मुहलत माँगे, यह मुहलत टालने के लिये न हो अदाएगी के लिये हो। अगर आप सच्चे दिल से अदाएगी का इरादा करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा।

हक्कुल इबाद के बाद हक्कुल्लाह का जाइजा लेना है, बालिग होने के बाद छूटी हुई नमाजों की कजा का नज्म करना चाहिये, जकात नहीं दी है ता उसे जोड़ कर अदा करना चाहिये सब से अहम अकेदे की दुरुस्ती पर ध्यान देना चाहिये। कुछ लोग कह देते हैं कि आखिर अल्लाह ने पीर पैगम्बर भी तो बनाये हैं उनका भी तो कुछ काम है। सो जान लेना चाहिये कि पैगम्बरों का काम अल्लाह का पैगाम पहुँचा देना और उस पैगाम को जिन्दगी में लागू करने का तरीका सिखा देना है और बस। तमाम औलियउल्लाह का काम पैगम्बर अलैहिस्सलात व सल्लाम की बातों पर अमल करते हुए बन्दों तक उनका पहुचाना है और बस। अल्लाह तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को मुअ़ज़िज़ा से नवाजा और बअज औलियाउल्लाह को करामात से लिहाजा करामात और मुअजिजा देखकर उनको खुदाई का मुख्तार न समझ बैठें और उन ही से न सूरज रौशनी और गर्मी देता है जाड़ों की बदली में जब छुप जाता है तो न हम बादल दूर करने के लिये मेघों से इलतिजा करते है न सूरज को मनाते हैं पस हम किसी काम के लिये न किसी वली को पुकारे न पैगम्बर को बल्कि उन के बताए हुए तरीके से अपनी मुशकिलात का हल निकाले सलातुल

हाजत पढकर दुआ करें और यह जाने कि अगर अल्लाह देगा तो कोई रोक न सकेगा अल्लाह न देगा तो कोई दे न सकेगा। अल्लाह के वलियों से दिली महब्बत रखें जो बातें उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई है उन पर अमल करें वह जिन्दा हैं तो उन से अपने लियो खैर की दुआएं कराएं, उनकी खूब खिदमत करें। अगर वह वली हैं तो कभी वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ कोई अमल करने को न कहेंगे।

रहे पैगम्बर अलैहिमिस्सलाम तो उन को माने बिना तो ईमान ही नहीं रहेगा। जितने पैगम्बर आए जिन की गिन्ती अल्लाह ही को मालूम है हम सब पर ईमान रखते है लेकिन पैरवी सिर्फ आखिरी पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें गे। अब आप की पैगम्बरी पर ईमान लाए बिना किसी की नजात नहीं। हर ईमान वाले के लिये आप की महब्बत सारी दुनिया की महब्बत से जियादा होना जरूरी है। कुछ अपनी ना समझी से या गौस, या अली का नअरा लगाते हैं यह निहायत गलत है और बअज अवकात शिर्क हो जाता है इस से बचना जरूरी है। कुछ लोग उठते बैठते या रसूलुल्लाह पुकारते हैं यह भी गलत है और कुछ सूरतों में शिर्क। इस से बचना चाहिये।

एक साहिब ने पूछा क्या या रसूलुल्लाह करना शिर्क है? मैंने जवाब दिया यदि महब्बत में याद कर के पुकारा है जैसे माँ माँ से दूर बच्चा अपनी माँ को पुकारता है मगर उसका अकीदा है कि माँ उससे दूर है पहुँच न सकेगी पस इस लिहाज से शिर्क तो नहीं है मगर बेअदबी हद दर्जे की है। हुजूर का नामे नामी आने पर दुरूद न पढ़ना बड़ी बदबख्ती है लिहाजा कहना चाहिये या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सयदुना अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैहि (अल्लाह उन पर रहमत उतारे) करते है यही उनका अदब है इस्लाम की ताअलीम है वली से ना माँगे बल्कि वली के लिए अल्लाह से रहम माँगे हाँ वली से दुआ कराएं। ऐसे ही पैगम्बर से ना माँगेगें बल्कि पैगम्बर के लिये अल्लाह से रहमत व सलामती मागेगें हाँ पैगम्बर से दुआ कराएं अल्लाह ताआला ने फरमाया मुझसे माँगो मैं दूंगा अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अल्लाह से नहीं माँगता अल्लाह उससे नाराज होते हैं।

पूरे हज की इबादत में कहीं भी अल्लाह के सिवा किसी से माँगने की तालीम नहीं है। हज से हमको आला दर्जे की तौहीद भी तालीम मिलती है।

❑❑

व्यापार का एक महत्वपूर्ण नियम

इसलिए कि वो बेचने वाले के अधिकार में है। अर्थात ये कि जो चीज भी बेचने वाले के अधिकार में न हो उसका सौदा करना सही नहीं, इसलिए कि उसमें ''धोखे के व्यापार'' तथा अविश्वास की स्थिति है।

चौथी स्थिति उसूली तौर पर ये है कि सौदे को अविश्वास की किसी चीज पर लटका दिया जाए, मिसाल के तौर पर बेचने वाला ये कहे कि मूल्य तुम अभी अदा कर दो, अगर फलाँ वाक्या पेश आया तो सामान तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। जो अभी इसी में शामिल है। इसमें एक ओर पैसों की अदायगी का विश्वास होता है तो दूसरी तरफ माल का मिलना यकीनी नहीं होता।

जब भी कोई अविश्वास की हालत पैदा होगी, इसका लाजमी नतीजा आपस के झगड़े की शक्ल में सामने आयेगा। इस्लाम न मामले के शुरू में झगड़े को पसन्द करता है और न आखिर में, यही वजह है कि सौदे पर सौदे करने से रोका गया है। एक आदमी बात–चीत कर रहा है, सौदा तय कर रहा है तो बीच में दूसरे आदमी को घुसने की आज्ञा नहीं है या अगर पहला आदमी सौदा न करे और अलग हो जाए तो दूसरे को नये सिरे से सौदा करने की इजाजत है। अर्थ ये कि सौदा पूरा पक्का करा जाए ताकि किसी प्रकार का अविश्वास पैदा न हो।

❑❑

किस्त चार

इस्लाम तलवार से फैला या सद्व्यवहार से?

- अ़ल्लामा सै0 सुलेमान नदवी (रह़0)

संकलन- नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

सशस्त्र प्रचारक समूह

दुर्भावना फैलाने की एक और कहानी ये है कि धार्मिक प्रचार–प्रसार हेतु जो समूह अन्य स्थानों पर भेजा जाता था वह शस्त्रों से लैस होता था परन्तु इस वास्तविक्ता को भुला दिया जाता है कि ये अरब की बात है जहाँ न कोई शासक और न नियमित शासन तंत्र था, जिसपर समस्त प्रजा की सुरक्षा का दायित्व होता। प्रत्येक वादी में एक–एक कबीला अपनी–अपनी अलग रियासत बनाए हुए था और हर कबीला दूसरे कबीले का घोर विरोधी था। रास्तों पर लुटेरों और डाकुओं का कब्जा था, जिनसे इक्का–दुक्का लोगों का बचना असंभव था। अतः जब कहीं कोई प्रचारक दल भेजा जाता तो अशान्त देश में रहने वालों के सामान्य नियमानुसार शस्त्र धारण करता था और इस सशस्त्र दल व धार्मिक प्रचार–प्रसार के अतिरिक्त कोई कार्य न होता था। इससे स्पष्ट है कि उनकी संख्या नाम मात्र होती जो सैनिक आक्रमण हेतु प्रयाप्त नहीं हो सकती थी।

बदर युद्ध के उपरान्त जब कुरैश कबीले का जो टूट गया और अरब देश में इस्लाम एक शक्ति बनकर उभरा तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कबीलों के निवेदन पर मुसलमानों के विभिन्न प्रचारक समूहो को प्रचार–प्रसार हेतु इधर–उधर भेजा, जिनमें से अधिकतर उस समय इस्लाम के शक्ति सम्पन्न होने के बावजूद अपनी जान से हाथ धो बैठे। उदाहरणतः रबी की घटना में छः (6) प्रचारकों का मारा जाना। बीरे मअूनह हादसे में सत्तर (70) प्रचारकों का कत्ल होना। सरीया इब्ने अबील्औजा में पचास मुसलमानों की शहादत। जाते इत्तेलाह में चौदह इस्लामी प्रचारकों का तीरों से मारा जाना और अरवह बिन मस्ऊद सक्फी का तीरों से छिद जाना आदि।

इस्लाम धर्म स्वीकारने के कारण

यद्यपि यूरोप का ये आम दावा है कि अरब में इस्लाम केवल तलवार के बल पर फैला परन्तु आरम्भ में जिन लोगों ने और जिन कबीलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, उनके आचरण देखने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम उनके निकट केवल टूटे दिलों को जोड़ने का खूबसूरत ठिकाना था। अतः प्रारम्भिक काल में जिन व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म अपनाया वह वही थे जो नेक, ईमानदार और सत्यवादी थे। जो ईशदौत्य (नबुव्वत) के गुण ज्ञाता और पिछले आकाशीय धर्म के थोड़ा बहुत जानकार थे जिन कबीलों ने इस्लाम धर्म में आस्था प्रकट करने में शीघ्रता दिखाई ये भी वही थे जिनमे उपर्युक्त विशेषताएं पाई जाती थी। इस्लाम को अरब के दो विभिन्न भागों उत्तर–दक्षिण में से अत्याधिक सफलता दक्षिणी क्षेत्र अर्थात यमन, उम्मान, बहरैन और यमामः में तथा उत्तरी क्षेत्र अर्थात मदीना एवं उसके असा–पास में मिली। क्योंकि वह विश्व की दो प्रमुख सभ्यता ईरानी और रोमी से प्रभावित थे और धार्मिक स्तर पर उनका मेल–जोल यहूदियों तथा इसाईयों से था। मदीने के वासी भी यहूदियों की सभ्यताएं संस्कृति से बड़े प्रभावित थे।

इस्लाम का युद्ध–क्षेत्र में अरबों से आमना–सामना सबसे अधिक नज्द एवं हिजाज क्षेत्र में हुआ किन्तु मुसलमानों की कोई आक्रमणकारी सेना मदयन, उम्मान, यमामः और बहरैन को पराजित करने हेतु नहीं भेजी गई। अन्सारे मदीना स्वयं मक्का आकर इस्लाम के प्रति आस्थावान बने। मदीना के सीमावर्ती कबीलों में कबीला गेफार ने स्वयं मक्का आकर कुरैश की तलवार की आग में खड़े होकर कल्मा पढ़ा। यमन से दौस कबीले के लोगों ने

भी मक्का आकर इस्लाम की सच्चाई में गहरी आस्था जताई और उसके सरदार ने अपना किला इस्लाम के लिये प्रस्तुत किया। हमदान कबीला हज़रत अली (रज़ि0) के निमंत्रण द्वारा एक दिन में मुसलमान हो गया। उम्मान की भी यही स्थिति रही वहाँ भी इस्लाम ने वो बल धार्मिक प्रचार–प्रसार के माध्यम से राजनैतिक व धार्मिक सत्ता प्राप्त कर ली यमामः के सरदार समामः (रज़ि0) कैद होकर मदीना आए फिर कुछ दिनों के पश्चात स्वतंत्र कर दिये गए किन्तु मदीने में मुसलमानों को जो अच्छा व्यवहार देखा तो आजादी के बावजूद अच्छे व्यवहार की जंजीरों से रिहाई न मिल सकी। स्वयं मुसलमान होकर अपने कबीले में इस्लाम के प्रचारक बन गए। अतः खून की एक बूंद गिरे बिना इस्लाम ने वहाँ शासन स्थापित कर लिया।

सद्व्यवहार का वाहक

इस्लाम के सबसे अच्छे व्यवहार को केन्द्र बिन्दु स्वयं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो युवावस्था में ही विश्वसनीय (अमीन) की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। जब रिसालत (ईशदौत्व) का भार आपको सौंपा गया तो घबरा गए ऐसे में उनकी सर्वोत्तम गुणों और अच्छे व्यवहारों से परिपुर्ण पत्नी हज़रत खदीजा (रज़ि0) ने धारस बंधाया और कहा कि "मुहम्मद (सल्ल0) अल्लाह आपको कभी अपमानित नहीं करेगा, आप रिश्तेदारों के साथ उपकार करते हैं, गरीबों की ओर से कर्ज अदा करते हैं, अक्षितों (मुहताजों) की खैर– खबर लेते हैं, मेहमानों का आदर–सत्कार करते हैं, जो लोग वास्तव में पीड़ित है उनकी सहायता करते हैं" (बुखारी)। अरब में जब आपके अवतरित (मब्ऊस) होने का समाचार फैला तो अबूजर गेफारी (रज़ि0) अपने भाई अनीस (रज़ि0) को सत्य जानने हेतु भेजा। उन्होंने वापस आकर कहा कि "मैं ऐसे व्यक्ति को देखकर आया हुँ जो भलाइयों का आदेश देता है और बुराइयों से रोकता है" (बुखारी)।

इस्लाम के प्रथम निमंत्रण के अवसर पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ पर खड़े होकर कबीला कुरैश के लोगों को सम्बोधित किया और पूछा कि यदि में कहुँ कि इस पहाड के पीछे एक सेना तुम पर आक्रमण करने को तैयार है तो क्या सच मानोगे? बसने एक स्वर में कहा "मुहम्मद! तेरी बात आज तक हमने झूट न पाई" (बुखारी)। अबुसुफियान (रज़ि0) जो हिज़रत (देशत्याग) के आठवें वर्ष तक इस्लाम के घोर विरोधी थे। छः हिज्री में हिरक्ल कैसरे रूम (रोम का राजा) के दरबार में कुरैश के एक समूह के साथ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्वोत्तम व्यवहार और गुण–विशेषता का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे थे। वह एक अक्षर भी सत्य के विरुद्ध प्रयोग न कर सके। उन्होंने गवाही दी कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोले, उन्होंने कभी वादाख़िलाफी नहीं की, वह लोगों को बहुदेववाद से रोकते हैं, एकेश्वरवाद की शिक्षा देते हैं, उपासना, सत्यता, उपकार, नम्रता का आग्रह करते हैं। हिरक्ल हर वाक्य पर कहता जाता कि नबुव्वत के यही लक्षण और प्रमाण हैं। पवित्र कुर्आन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सम्बोधित करता है कि "और मुहम्मद! यदि तुम कठोर स्वभाव और कठोर हृदय के होते तो लोग तुम्हारे पास से चल देते।"

(सूर : आले इम्रान : 7)

आपका यही ईश्वरीय चमत्कार था, कि जो लोगों को खींच–खींच इस्लाम की ओर ला रहा था और इन्कारियों के अज्ञानतापुर्ण संशय का क्षण भर में मिटा रहा था।

जारी.....

❑❑

गोश्त खोरी

मगर जब्ह करने के बजाय उसकी गरदन मिरोड दी उसे इस्लाम ने हराम ठहराया, जब्ह करने वाला मुसलमान था किताबी न था तो उसका जबीहा भी हराम है, जब्ह करने वलो ने जान–बूझ कर अल्लाह का नाम लिये बिना जब्ह कर दिया इस्लाम ने उसका गोश्त हराम कर दिया है।

❑❑

गोश्त खोरी

- डॉ0 हारून रशीद सिद्दीकी

गोश्त खोरी इन्सान की फितरत (प्राकृति) है। इन्सानी अक्ल ने जो इन्सानी तारीख लिखी उस में इन्सान को अनाज खोर और सब्जी खोर से पहले गोश्त खोर दिखाया है। वह जानवरों का शिकार करता और गोश्त खाता, हाँ जंगल के फल फलारी भी खाता था। जावनर पालना खेती करना तो उसे बहुत बाद में दिखाया गया है।

धर्म व मजहब के लिहाज से दुन्या के जितने बड़े धर्म है सब में गोश्त खोरी मौजूद है। हिन्दू धर्म जो सनातन धर्म कहलाता है उस में भी गोश्त खोरी मौजूद है। पंडितों ने गोश्त खोरी छोड़ी और गोश्त खोरी छोड़ने को भला काम बताया यह तो बहुत बाद की बात है, बरना पहले यज्ञ में सैकड़ो बड़े और छोटे जानवरों का वध अब तक लिखा है बल्कि यज्ञ में बकरे भेड़ों का चढ़ाना लिखा ही नहीं है। रामायन में एक दावत में तरह–तरह के गोश्त खिलाने का जिक्र है। खुद राम चन्द्र गोश्त खोर थे वह हिरन के शिकार को गये थे तभी तो सीता जी का हरण हुआ था। आज भी ब्रहमण्डों के अलावा सभी हिन्दू गोश्त खाते हैं अलबत्ता उत्तरी भारत के हिन्दू बड़े जानवरों का गोश्त नहीं खाते जब कि दक्षिणी भारत के द्रावड़ बड़े का गोश्त भी खाते है।

हिन्दू धर्म में गोश्त खोरी पर रोक कुछ हिन्दू रहनुमाओं के फलसफे और बौध धर्म के असर से हुई। अजीब बात है कि भारत के बौधी गोश्त नहीं खाते जबकि इन्डोनेशिया और थाईलैन्ड आदि के बौधी गोश्त खाते हैं। कुछ लोगो ने तो खुद महात्मा बुद्ध का गोश्त खाना साबित किया है। अलबत्ता जैन धर्म जिस की बुन्याद (आधार) फलसफे पर है और जो सिर्फ हिन्दोस्तान में बहुत कम तादाद में पाये जाते हैं उनके यहाँ गोश्तं खोरी बिल्कुल नहीं है लेकिन यह अजीब धर्म है इनका तीर थंकर कपड़े नहीं पहनता, वह जैनियों के नजदीक खुदा होता है। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म इन के यहाँ गोश्त खोरी मौजूद है।

इस्लाम ने तमाम जानवरों पर रहम का हुक्म दिया और फरमाया कि किसी जानदार को मत मारो सिवाए इसके तुम सब के पैदा करने वाले ने उन के कत्ल या जब्ह का हुक्म दिया हो।

वह जानवर जिन से इन्सानों को कोई फाइदा नहीं सिर्फ नुक्सान है जैसे साप बिच्छु, मक्खी मच्छर खटमल हुए आदि उनको कत्ल का हुक्म दिया जब कि वह इन्सानों के बीच आ जाएं। दूसरे जानवरों से फाइदा उठाने की अनुमति दी, किसी पर सवारी करते है तो किसी के बाल से फाइदा उठाते हैं, किसी का दूध काम में लाते हैं, किसी से सामान ढोते है तो किसी से खेती में काम लेते हैं सुअर एक ऐसा जानवर है जिससे इस्लाम ने किसी किस्म का फाइदा लेने से रोक दिया।

कुछ जानवरों का गोश्त खाने की अनुमति दी मगर कुछ शर्तो के साथ :

1– वही जानवर खाये जा सकते है जिन की इजाजत शरीअत ने दी हो।

2– किसी ईमान वाले ने अल्ला का नाम लेकर इस्लामी तरीके पर जब्ह किया हो।

कुछ लोगों का यह कहना कि जानवर को जब्ह करना बेरहमी है यह उनकी भूल है। जानवर (पशु) चलती फिरती सबजियाँ हैं, सबजियों में भी जान है जब हम उनको खाते हैं तो हलाल पशुओं के जब्ह करने और खाने में बेरहमी कैसे हो सकती है। जानवरों को इन्सानों पर कयास करना गलती है। अल्लाह ने सब कुछ इन्सान के लिये पैदा किया है बस देखना है कि अल्लाह का हुक्म (आदेश) है या नहीं अल्लाह का हुक्म ना हो तो जानवर क्या लौकी तरोई भी रवाना हराम है। कोई शख्स किसान के खेत से सब्जियाँ चुरा लाये तो इस्लाम ने उस का खाना हराम बताया है। जिस जानवर को अल्लाह ने हलाल नहीं किया उस का गोश्त खाना हराम हैं हलाल जानवर है

शेष पृष्ठ 25

किस्त छः

ख़वातीने इस्लाम

(इस्लाम में महिलाओं का स्थान)

- अनुवाद : हबीबुल्लाह आज़मी

- मौ0 अब्दुर्रहमान नग्रामी नदवी

औरतों में नबूवत

यह एक विचित्र समस्या है इसलिए अधिक दिलचस्प है कि सामान्य तौर पर इसका इन्कार किया जाता है लेकिन हम इसको मानना चाहते है कि औरतें भी नबी हुई हैं। औरतों को कमअक्ल होने पर एक बहुत बड़ी दलील यह भी कायम की जाती है कि उनको नबूवत की पदवी से वंचित किया गया है। यह विचार इस कदर आम हो गया है कि शायद मुशकिल से एक प्रतिशत लोग ऐसे मिले जो एक छण के लिए भी औरतों की नबूवत का विचार कर सकें। वास्तव में यह किस कदर साहस की बात है लेकिन साथ ही साथ यह भी किस कदर चकित करने वाली बात है कि औरतों को इस महान पद से वंचित रखा जाये। पुराने उलमा में इब्ने हजम हमारे इस विचार के समर्थक हैं जो न केवल दीनी इल्म (इस्लामी कानून और हदीस) के एक जबरदस्त माहिर थे बल्कि फलसफा व माकालात (दर्शन शास्त्र व तर्क शास्त्र) के विशेषज्ञ थे।

खुदा की तरफ से जो लोग लोगों के मार्गदर्शन के लिए मुकर्रर होते हैं उनकी दो किसमें है। एक वह साहिबे शरीअत (शरीअत वाले) होते हैं और उन पर किताबें उतरती हैं। उन्हें रसूल (इश्दूत) कहा जाता है और दूसरे वह जो साहिबे किताब तो नहीं होते लेकिन अल्लाह के मुकद्दस रसूल (पवित्र दूत फरिशते) उनके पास आते थे और विभिन्न अवसरों पर निर्देश और शिक्षा दे जाते थे। यह लोग नबी कहलाते हैं और अपने से पहले आए हुए रसूल के पाबन्द होते हैं। कुर्आन मजीद में बाज औरतों के बारे में इस प्रकार के शब्द प्रयोग किये गये हैं जिन से उनकी नबूवत का पता चलता है और चूंकि उनके नबी न होने पर कोई साफ–साफ बयान मौजूद नहीं है और अनुमानों और बाज बयानों से इस की तरफ संकेत होता है इसलिए यह दावा सही है कि औरतों को नबूवत से भी सम्मानित किया गया है। जैसे कुर्आन मजीद में हज़रत मरयम का किस्सा कई जगहों पर बयान किया गया है और लगभग हर जगह पर ऐसे शब्द मौजूद हैं जिन से आप की नबूवत का प्रमाण मिलता है एक जगह कहा गया है।

अनुवाद : फरिशतों ने कहा ऐ मरियम! खुदा ने तुम्हें उत्तम बनाया, पवित्र किया और तमाम संसार की औरतों पर वरीयता (तर्जीह) दी।

बरगजीदा करना (उत्तम बनाना) का शब्द बहुदा पैग्मबरों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक दूसरे अवसर पर जब हज़रत मरियम अ0 अपने मकान के एक कोने में स्नान के लिए गईं और उन्हें एक सूरत नज़र आई। जब उन्होंने आपत्ति की तो उसने (फरिशते ने) उत्तर में कहा, अनुवाद : मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। क्या इस प्रकार से फरिशते साधारण लोगों के पास भी आते हैं? एक ओर अनुसर पर कहा, अनुवाद : हमने उनके पास अपनी रूह (जिबरील) को भेजा। क्या यह नबूवत के होने को जाहिर नहीं करता? ऐसे ही हज़रत मूसा की माता के लिए वही का शब्द बोला गया है। हज़रत मरियम के बारे में एक और शहादत भी मौजूद है कि सूरः मरियम के शुरु में अक्सर पैगम्बरों का बयान किया गया है और उनके बारे में कहा गया है, (अनुवाद : किताब में दखो) इस संदर्भ में हज़रत जक्रिया अ0, हज़रत इब्राहीम अ0, हज़रत इदरीस अ0, तमाम पैगम्बरों का जिक्र आया है। फिर अगर मरियम नबीया न थीं तो उन्होंने खास इन शब्दों के साथ पैगम्बरों के जिक्र करने की जरूरत न थी।

अल्लामा इब्ने हजम की राय निम्नलिखित थी : (अनुवाद : उम्मे

मूसा (मूसा की माँ), उम्मे इस्हाक (इसहाक की माँ), कुर्आन मजीद में उनमें से बाज के साथ फरिशतों से बात करना बताया गया हे जो एक तरह से वही है और बाज को अल्लाह तआला ने अपने वाली घटनाओं को होने से पहले सचेत कर दिया और नबूवत में यही होता है। इसलिए यह कहना दुरुस्त है कि उन की नबूवत कुर्आन से साबित है) और जब यह साबित हो तो यह गलत है कि औरतें नबूवत के पद से वंचित रखी गईं हैं।

औरतों का इस्लाम पर कायम रहना

यहाँ तक हमने जो कुछ भी लिखा वह धार्मिक तर्क के कुछ संकेत थे जो औरतों के बारे में आमतौर से मशहूर किये जाते हैं। अब हम इस तसवीर का ऐतिहासिक रुख भी पेश करते हैं। ताकि अन्दाजा हो कि यह कोमल प्राणी भी इतिहास के हर मैदान, मुसीबत व दुख के हर परीक्षा में मर्दों के कंधे से कंधा मिला कर साथ–साथ रही हैं। इस्लाम के प्रारम्भ में अगर मर्दो ने अपनी प्रिय मात्रभूमि को छोड़ा तो औरतों ने भी उस का साथ दिया। अगर वह इन्कारियों के सामने लड़ते नज़र आए तो उन्हें भी बाहादुरी और मर्दानागी दिखाई। अगर खुदा के प्यारे बन्दों (मर्दों) ने उसके सच्चे मजहब के लिए अपनी जान देने से संकोच नहीं किया तो औरतों ने भी इस के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। अगर उन्होंने कठिन से कठिन दुख झेले और अल्लाह के नारे बुलन्द किये तो उन्हों ने भी तलवार के नीचजे यही संदेश सुनाया।

असल यह है कि वह पवित्र प्राणी जिन के मुर्दा शरीर में सूरे इस्लाम (इस्लाम के बिगुल को पहली फूंक से रूह पहुँच गयी वह खुदावन्दी आजमाईश में सबसे पहले उतरने वालों में हैं, उन्हें जिन दुखों और कठिनाइयों को मुकाबला करना पड़ा किसी नबी और दाई (बुलाने वालों) के हवारीन (मदद गारों) को इन कठिनाईयों का सामना नहीं हुआ और इसी का फल है कि अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी सारी जमीन एक मात्र खलीफा (प्रतिनिधि) बना दिया लेकिन यह न समझना चाहिये कि इस सम्मान के हकदार मर्द ही हैं बल्कि औरतों ने भी खुदा की राह में वही दृहणता का नमूना और वही जोश और मजबूती दिखाई जो मर्दों की तरफ से जाहिर हुई और एक हैसियत से देखा जाय तो औरतों को बाजी ले जाने और प्रथम स्थान का गर्व भी प्राप्त है।

हज़रत उमर (रज़ि0) के इस्लाम लाने को आश्यर्चजनक घटना को उनकी जीवनी में विस्तार से बयान किया गया। गौर करो उमर जैसा शूरवीर (जरी) व्यक्ति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या के इरादे से बाहर निकला है, तलवार गले में लटक रही है रास्ते में एक आदमी मिला पूछा कहाँ जाते हो? हज़रत उमर ने कहा नबूवत का दावा करने वाले का कत्ल का इरादा है। उसने कहा पहले अपने घर की खैर मना लो फिर दूसरे की खबर लेना। यह उनके बहन के इस्लाम की तरफ संकेत था। आप बहन के घर गये। थोड़ी सी बात चीत के बाद बहनोई को मारना शुरू किया। उनको छोड़ाने के लिए बहन दौड़ीं लेकिन जोशे गजब नेउन का कुछ भी संकोचन किया और वह भी चोट खा गईं चेहरा खून ने लाल हो गया। कपड़े खून में लतपत हो गये लेकिन अन्तिम वाक्य जो इस बहादुर औरत की जबान से निकला यही था कि उमर! जो कुछ चाहो करो यह वह नशा नहीं जिसे तुर्शी (खटास) उतार दे। जब यह गर्दन खुदा के आदेश व नियमों के तौक में आ गई तो वह अलग नहीं की जा सकती।

बसीना हज़रत उमर (रज़ि0) की एक लौंडी थीं। हज़रत उमर (रज़ि0) के मुसलमान होने के पहले वह मुसलमान हो चुकी थीं। हज़रत उमर का यह हाल था कि उन्हें मारना शुरू करते, मारते–मारते थक जाते तो बैठ जाते और उन से कहते जरा सुस्ता लूं तो और मारूंगा लेकिन इस दिल की मजबूत औरत का जोश आशचर्यजनक था। यह उत्तर देतीं कि ऐ आका अगर तुम इस्लाम न लाये तो अल्लाह तआला भी तुम से यही व्यवहार करेगा। इस जोश के साथ यह तवक्कुल (भरोसा) भी देखो वह इस दुनियावी तकलीफ को बर्दाश्त करतीं थीं और उन्हें विश्वास था कि अल्लाह उनसे

यदि वह इस्लाम न लाये तो उनसे इंत्किाम (प्रतिकार) लेगा।

बनू मखजूम की एक लौंडी जिनका नाम जनीरा था इस्लाम के प्रारम्भ में इस्लाम लाई कुरैशियों ने उन को अधिक से अधिक तकलीफ पहुँचाई। उन तकलीफों का यह नतीजा हुआ कि उन के आँखों की रोशनी जाती रही। अबूजेहल उनसे कहा करता था जनीरा! देखो लात व अुजा (बुतों के नाम) के क्रोध से ऐसा हो गया। तुमने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ा और उन्होंने उत्तर दिया यह बेजान मिट्टी के तूदे और हाथ की गढ़ी हुई मर्तियाँ क्या जान सकती हैं कि कौन इन की झूठी पूजा पर अब तक कायम है और कौन सत्य का पुजारी हो गया। फिर जिनको यह मालूम नहीं वह अजाब व सवाब क्या दे सकते हैं? आँखों से दिखाई न देना खुदा का आदेश है। अगर उसकी मर्जी हो तो वह फिर मेरी आँखों की रौशनी वापस कर सकता है। चुनाँचि कहा जाता है कि फिर उनकी आँखें रौशन हो गई। उन्हीं महिलाओं में जो इस्लाम के प्रारम्भ में मुसलमान हुई हमना नामी भी एक महिला थीं। यह एक कुरैशी सेविका थीं। इन का मालिक उन्हें शिकंजा में कस देता और खाना पीना बन्द कर देता इन मुसीबतों के बावजूद भी उन्होंने अपने सच्चे दीन से मुंह नहीं मोड़ा। हज़रत अबू बकर (रज़ि0) ने जरे फिदया (प्रतिदान) देकर आजाद करा दिया।

उम्मे हबीब बिन्त अबी सुफयान जब अपने पति के साथ हिज़रत (देशत्याग) कर के हबशा गईं तो उनके पति (अब्दुल्लाह) ईसाई हो गये लेकिन उन्होंने इस्लाम त्याग नहीं किया।

खवातीने इस्लाम की यह कुछ मिसालें है जो आप के सामने पेश की गईं हैं। इन्हें गौर से पढ़िये और अन्दाजा कीजिये कि यह उस समय की घटनायें हैं जब इस्लाम का कोई सहायक न था। निर्धनता और भूख जोर था, धन दौलत की कमी थी हाँ उनके पहलू में एक मजबूत दिल था जिस ने उन्हें इन सब तकलीफों को बर्दाशत करने पर आमादा किया और उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए जिन्दा कर दिया। अतएवं अब आपका कर्तव्य है इस्लामी आदेशों में उसी तरह पुख्तगी, पक्के इरादे, दृढ़ता पैदा कीजिये कि इतिहास आप की यादगारों से पुर (भरी हुई) हो और मुसलमानों के पिछड़ेपन का खातमा हो।

❑❑

कब्रिस्तान व मज़ारात

खुलासा यह कि मुसलमानों की कब्रों की जियारत चाहे वह आम मुसलमान हों या बुजूर्ग मसनून है। अहनाफ के नजदीक कुछ कुर्आन पढ़ कर बखशना साबित है लेकिन बिदआत और शिर्कियात से बचना बहुत जरूरी है वरना नेकी बरबाद गुनाह ताजिम की मसल सादिक़ आए गी।

❑❑

मुंशी प्रेमचन्द्र

इनकी कहानियों के अनुवाद विश्व के लगभग सभी समृद्व भाषाओं में हो चुके हैं। भूख, अभाव, निर्धनता, साहूकारों और जमींदारों के शोषण के विरूद्ध वह जीवन भर कहानियों के माध्यम से लड़ते रहे। विश्व को आदर्श की सीख देने वाले प्रेमचन्द ने स्वयं विधवा विवाह कर आदर्श अपनाया। अंग्रेजी दौर में लिखी गई उनकी कहानियाँ आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी उनके जीवन काल में थी। इसका प्रमुख कारण ये है कि स्वतंत्र भारत में भी उनकी कहाँनियाँ आज के दौर की वास्तविकता का चित्रण करती हैं।

अन्तिम समय में प्रेमचन्द फिल्मी दुनिया में भाग्य आजमाने मुम्बई पहुँचे, मगर जो लिखना चाहते थे उसपर अकारण काट–छाँट हुई तो बरदाशत न कर सके। कुछ महने में ही मुम्बई को अलविदा कह दिया और फिर उस ओर कभी मुंह न किया। हिन्दी–उर्दू साहित्य जगत को उपन्यास और कहानियों का अनमोल गुलदस्ता सौंपकर 8 अक्टूबर 1936 को कथा शिल्पी मुंशी प्रेमचन्द इस नश्वर संसार से विदा हो गये, मगर जनमन के तारों को झंकृत करने वाली उनकी कहाँनियाँ आज भी उनके जिन्दा होने का एहसास दिलाती हैं।

❑❑

सर सैयद अहमद ख़ान

- संपादन प्रभाग

सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्तूबर सन् 1817 ई0 को दिल्ली में हुआ था। आप मुसलमानों की मशहूर शख्सियतों में से एक थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे आधुनिक शिक्षा का गढ़ कहा जाता है, उन्हीं के दिमाग़ की पैदावार है।

सर सैयद अहमद खान पर पिता से अधिक अपनी माँ के प्रशिक्षण का प्रभाव नज़र आता है। उनकी माँ अज़ीज़ुन निसाँ ने उनकी शिक्षा–दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उनकी सख़्त निगरानी ओर अनुशासन ने ही उनको यह ऊँचाई बख़्शी और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 'सर' की उपाधि प्रदान की।

1838 ई0 में पिता की मृत्यु के बाद उनके घर पर आर्थिक परेशानी आ पड़ी। इसीलिए 21 वर्ष की छोटी आयु में ही उन्हें नौकरी के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ईस्ट इण्डिया कंपनी में नौकरी कर ली। वे सरिशतेदार के पद पर बहाल हुए। 1839 ई0 में उन्हें नायब मुंशी और 1841 ई0 मुंशी बना दिया गया। 1858 में उन्हें प्रमोशन देकर सदरुस्सदूर, मुरादाबाद बना दिया गया।

उन्हें लिखने–लिखाने का शौक़ था। 1842 ई0 के आते–आते उर्दू के लगभग सभी मेयारी रिसालों में छपने लगे। लेकिन जिस किताब ने उन्हें स्कॉलर की हैसियत प्रदान की उसका नाम आसार–अस्सनादीद (Great Manument) है। उनकी अन्य रचनाएं जिला लुल कुलूब बे–जिक्रिल महबूत, तोहफ़ा–ए– हसन, तहसील फी जोर सकील, नमी क़ादर बयाँ मसला तस्खुरे शैख, सिलसिला–तुल मुल्क, असबाबे बग़ावते हिन्द, लोयल मुहम्मड्नस ऑफ इण्डिया, ताबईने कलाम और मुहम्मद (सल्ल0) की सीरत पर लेखों की सरीज आदि। इसके अलावा आपने बाइबल की व्याख्या भी की है।

अपने इन लेखों में आपने समाज की सच्ची तस्वीर पेश की है। जगह–जगह पर समाज को कुछ सुझाव भी दिया है। जैसे बाइबल की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि सभ्यता एवं संस्कृति की दृषि से ईसाई धर्म इस्लाम से बहुत करीब है। असबाबे बग़ावते हिन्द में इन्होंने 1857 ई0 के बाद ब्रिटिश अत्याचार का खुलकर बखान किया है।

1850 ई0 में उन पर शिक्षा का धुन सवार हुआ। उन्हें लगा कि शिक्षा की पश्चिमी शैली अधिक प्रभावशाली है और भारतीयों को उसे अपना लेना चाहिए। यदि भारत का आम इन्सान शिक्षा की पश्चिमी शैली को अपना ले तो उसके प्रगति और उत्थान की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। वे शिक्षा में रिवायती शिक्षा के खिलाफ थे। मदरसों से फारिग़ होने वालों को वे बेकार समझते थे। इसीलिए उन्हें मुस्लिम बुद्धिजीवियों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

1859 ई0 में उन्होंने मुरादाबाद में एक आधुनिक मदरसे की बुनियाद डाली और उसमें गणित एवं विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी। 1863 ई0 में उन्होंने ग़ाजीपुर में उसी तरह का एक दूसरा मदरसा खोला। 1864 ई0 में उनका स्थानाँतरण अलीगढ़ कर दिया गया। लेकिन वे अपने मिशन में लगे रहे और अलीगढ़ आते ही उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की बुनियाद डाली और इसी बैनर के नीचे देश की अनेक शख़्सियतों को जोड़ा। सोसाइटी की मीटिंग हर साल होती थी और मुसलमानों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए योजनाओं पर विचार–विमर्श होता था। सोसाइटी की ओर से दो पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई।

(क) अलीगढ़, इंस्टीट्यूट गज़ेट।

(ख) तहजीबुल अख़्लाक़।

'तहज़ीबुल अख़्लाक़' जल्द ही लोकप्रिय हो गया और मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 24 मई 1875 ई0 को सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुहम्मडन ऐंग्लो ओरियेंटल कॉलेज की बुनियाद डाली। **शेष पृष्ठ 11**

खत की सोंधी यादें

- नजुस्साकिब अब्बासी नदवी

लोगों के हृदय में एक दूसरे के प्रति उठने वाली भावनाओं की सबसे ईमानदार, सच्ची शाब्दिक अभिव्यक्ति चिट्ठियों में ही दिखाई देती है। खत का नाम आते ही यादों का दरीचा खुलने लगता है। जब मैं गाँव में रहा करता था प्रतिदिन डाकिये को देखर यही उम्मीदें करता था कि शायद मेरा खत आया होगा। मेरी ही तरह गाँव के लगभग सभी ऐसा सोचा करते थे। मैं हफ्ते में दो–तीन खत लिखा करता था और उसका जवाब भी आता था। जब मैं खत पाता तो दिल में हजार उमंगे जाग उठती थी और मुझे एहसास होता कि दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी मैं ही हुँ। परन्तु मुझे आज कोई चिट्ठी लिखने वाला नहीं है।

मैं आज घर से दूर पढ़ाई कर रहा हुँ किन्तु अब मरे पास चिट्ठियाँ नहीं आती। पहले अम्मी–अब्बू खत लिखा करे थे "बेटा खाना समय पर खाया करना, नमाज पढ़ते रहना, दिल लगा कर पढ़ना, उस्ताद की इज्जत करना, आजकल बगीया में अमियाँ खूब आएं हैं, तय्यबा तुम्हें याद करती है, उमर अब चलने लगा है, भाई जान, भाभी और बिहनी तुम्हे दुआ कह रहे है, परंसो हम नाना–नानी के यहाँ जा रहे है, चचा और मामू के यहाँ भी समय से चिट्ठी देना आदि। सम्बन्ध तो आज भी वैसे ही है। फिर हमें क्या हो गया है? माँ–बाप का प्यार वैसा ही है नीलगगन और आँगन में आने वाली धूप का रंग पहले जैसा ही है। फिर रिश्तों को जाड़ने वाली खतों की इबारत कहाँ गुम है? अब हम कभी–कभार एस0एम0एस0 भेजते है, ईमेल करते है। बहुत किसी पर प्यारआया तो फोन से तीन–चार मिनट बतिया लेते हैं। हम सभी जानते है कि एस0एम0एस0 या ईमेल में अम्मी का प्यार और फूफी का दुलार आ ही नहीं सकता। पर कोई करे भी तो क्या? समस्त विश्व संवेदनहीनता की अंधी दोड़ में शामिल होने को उतारू है। हम भी उसका अंश बनते जा रहे है। अगर हम उसमें शामिल नहीं हुए तो लोग हमे जाहिल–गंवार और न जाने क्या–क्या समझने लगेगें। हमको मालूम है कि एस0एम0एस0 या ईमेल में खाला की कुछ खबर नहीं होगी। ममेरी बहन के ब्याह का कोई समाचार नहीं होगा। फोन से होने वाली बातों में दादा–दादी की दुआएं नहीं होंगी। फिर वही बात आई कि हम करे भी तो क्या? इस युग में विज्ञान का विकास एक सुखद एहसास है। हमारी सोच भी इसके साथ है परन्तु ये भी सत्य है कि इन तरक्कियों के दौर में माँ के प्यार को नापा नहीं जा सका है और अल्लाह की रहमतों को समेटा नहीं जा सकता।

फोन और इंटरनेट ने विश्व को सिकोड़ कर इतना छोटा कर दिया है कि लोग उसे हाथों में लिये फिर रहे हैं। सलमा का विवाह नसीम से तय हो जाने का समाचार जब मोबाइल फोन से मिल रहा है तो फिर कोई किसी को चिट्ठी लिखने का कष्ट क्यों करे? ऐसे में संवेदनाओं का कम हो जाना आश्चर्य में नहीं डालता, आज अवश्य इस बात की जगह बनती है कि क्या संवेदनाओ को इस प्रकार टूटकर बिखरने देना चाहिये। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि चिट्ठी लिखना केवल भावुक्ता नहीं अपितु अपने आप में एक कला है। उसके माध्यम से आप लोगों को प्रभावित करने का वैज्ञानिक क्षमता रखते हैं। उससे एक दूसरे से धनिष्ठ सम्बन्ध बनता है जिसकी आज विश्व को बहुत अधिक आवश्यक्ता है। अगर मुर्दा हो चुके सम्बन्धों को पत्रों के माध्यम से जीवित किया जाए तो शायद इस से सुन्दर साधन कोई और नहीं हो सकता। दिल में रह–रह कर यही बात उभर कर आती है कि अगर हम तकनीक के तारों के माध्यम अपनी संवेदनाओं के धागों को टूटने से बचा सकें तो अवश्य ही रिश्तों की तस्वीर और खूबसूरत बन सकती है।

❑❑

कथा शिल्पी मुंशी प्रेमचन्द

- नजमुस्साकिब अबसी नदवी

सुख–ऐश्वर्य में जीने और धन सम्पदा का मोह जिस व्यक्ति में नहीं रहा, ऐसा साहित्यकार भारत भूमि पर एक ही बार जन्मा, वह है प्रेमचन्द। प्रेमचन्द उस उपन्यासकार और कहानीकार का नाम है जिसने सरकारी नौकरी को ठोकर मारकर केवल निर्धनों, शोषितों की हीन दशा पर कलम चलाते रहने को वरीयत दी। बल्कि उन्हें तो फिल्मी दुनिया का ग्लैमर भी आकृष्ट न कर सका, क्योंकि वहाँ गरीबों और पीड़ितों पर लिखने के लिये कुछ न था। अतः पलटकर पुनः वही लिखा जो लिखना चाहते थे।

भारतीय समाज के इस सजग प्रहरी और कुशल कथा शिल्पी का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लमही गाँव में हुआ था। माँ का नाम आनन्दी देवी था। वह एक घरेलू नारी थी लेकिन प्रेमचन्द को हिन्दी व उर्दू साहित्य जगत में धुव्र तारे के रूप में चमकाने का श्रेय माँ को ही जाता है। बचपन में माँ के आँचल में अभाव, निर्धनता और तंगी में धैर्य के साथ जीते रहने का गुण प्रेमचन्द ने अपनी माँ से ही सीखा था। पिता का नाम अजायबकाल था। वह पोस्ट आफिस में "मुंशी" पद पर कार्यरत थे। अतः उनके नाम के साथ "मूंशी" शब्द जुड़ गया था। दिलचस्प बात ये है कि पिता के नाम के साथ–साथ "मूंशी" शब्द प्रेमचन्द के नाम के साथ भी जुड गया था। उसका एक कारण ये भी था कि प्रेमचन्द स्कूल मास्टर थे। उस समय लोग स्कूल मास्टर को सम्मान देते हुवे "मूंशी जी" कहा जाता था। उस समय "मूंशी" शब्द का अर्थ पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के रूप में भी लगाया जाता था। प्रेमचन्द हालाँकि बाद में पदोन्नति करते हुवे शिक्षा विभाग में डिप्टी पद तक पहुँचे मगर उनके नाम से "मूंशी" शब्द कभी न हट सका क्योंकि उनका नाम अगर "मूंशी" शब्द के बगैर लिया जाता है तो कहीं न कहीं अधूरापन का एहसास होता है।

एक और दिलचस्प बात उनके नाम को लेकर ये है कि "मूंशी प्रेमचन्द का असली नाम "धनपत राय था।" छदूम नाम प्रेमचन्द अपनाने का कारण स्वतंत्रता आँदोलन से जुडा था क्योंकि उन्होंने 1910 में "सोजे वतन" नामक पुस्तक लिखी थी। उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिये चारो ओर आँदोलन चल रहा था। "सोजेवतन" प्रकाशित होते ही फिरंगियों को धनपतराय की कलम में विद्रोह की गंध आने लगी। अतः पुस्तक की प्रतियों को जलाने का आदेश पारित हुवा। धनपतराय नामक व्यक्ति अंग्रेजों की दृष्टि में अपराधी घोषित हो चुका था। इसलिये इस अमर कथा शिल्पी ने छदूम नाम प्रेमचन्द अपनाया और फिर जीवन भर उसी नाम से अपने कलम का जादू चलाता रहा।

मुंशी प्रेमचन्द के घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। खाने–पीने, पहनने–ओढ़ने की कमी तो न थी मगर इतना कभी भी न हो पाया कि वह आर्थिक स्थिति के प्रति संतुष्ट हो पाते। मुंशी प्रेमचन्द को बचपन ही से पढ़ने–लिखने का शौक था। हाईस्कूल पास करने के साथ ही स्कूल टीचर की नौकरी पाली थी। नौकरी के दौरान ही उन्होंने इण्टर और बी0ए0 किया। नौकरी में पदोन्नति पाकर डिप्टी के पद पर पहुँच कर उसके कर्तव्यों को सही तरीके से निभाया। वह उर्दू–फारसी साहित्य को बड़े चाव से पढ़ते थे। मोटी–मोटी जिल्दों को कम समय में पढ़ डालते थे। उर्दू में लिखी उनकी अधिकतर कहाँनियाँ मील का पत्थर हैं।

उनके जीवन काल में मुंशी प्रेमचन्द ने लगभग तीन सौ या उससे अधिक कहाँनियाँ और 14 उपन्यास लिखे।

शेष पृष्ठ 30

आप बीती

एक हफ्तः हिमालय की गोद में

- एम0 हसन अंसारी

इस आत्म कथा के अध्याय बारह में 'दो साल चमोली गढ़वाल में' शीर्षक के तहत आप बीती आपको सुना चुका हूँ। मेहल चौरी, चमोली वफादारी और कर्तव्य निष्ठा ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। 1982 में जब पहाड़ से ट्रॉंस्फर होकर मैदान में आ गया उस के बाद पर्ततीय अँचल जाना न हो पाया। इच्छा हुई कि एक बार और पहाड़ की सैर की जाये और वहाँ के ग्रामीण अँचल को देखा जाये, यही बात कारण बनी इस साप्ताहिक यात्रा का जो 30 मई से 5 जून 2010 की अवधि में सम्पन्न हुई और जिस की दास्तान उब आपको सुना रहा हूँ।

वह गढवाल की आप बीती थी, यह कुमाऊँ की छाप सन् 2004 से पहले तिरासी जिलों में उत्तर प्रदेश फैला था जिसका एक पर्वतीय भाग कुमाऊँ गढ़वाल के आठ जिलों का ही था। सन 2004 में उत्तराखण्ड राज्य बना जिसे उत्तराँचल भी कहा जाता है। उत्तराखण्ड में तेरह जनपद हैं, इस की राजधानी देहरादून है जहाँ शिक्षा निदेशालय है। राज्य के अन्य कार्यालय भी मताल और नैनीताल में हैं। उत्तराखण्ड की आबादी 8479562 है और क्षेत्रफल 53483 वर्ग कि0मी0 है।

हिमालय की शिवालिक का सिलसिला पूरब से पश्चिम तक फैला है। यहाँ अच्छा ज्यादा, खराब कम है मैदान की अपेक्षा जहाँ अच्छाई, शान्ति और सहज स्वभाव को तलाश करना पड़ता है। और इसी सुख–शान्ति की तलाश में मैदान से कुछ लोग जो एफोर्ड कर सकते हैं गर्मियों में पहाड़ की सैर करने आ जाते हैं, पहाड़ की जलवायु स्वास्थ्य वर्द्धक है। यहाँ घूल, धोखा नहीं है। हार्ड लाइफ है। लोग शरीर से मजबूत हैं। नई पीढ़ी में नीचे की और पलायन का रूझान है, इसे देखते हुए विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं सड़कें, पानी, बिजली, स्कूल कालेज तेजी से विकसित हो रहे हैं, क्षेत्र विकासशील है, पर अभी बहुत कुछ होना शेष है। अच्छा होता कि हिमालय की गोद को अपनी वास्तविक दशा और स्वरूप में बाकी रहने दिया जाता, यहाँ कि छटा, प्राकृतिक सौन्दर्य, सहज और सरल स्वभाव, फलोरा एण्ड फाना, जीव–जन्तुओं से छेड़ छाड़ न की जाती, परन्तु भौतिक वाद और पाश्चात्य सभ्यता की उफान इस क्षेत्र को भी अपनी लपेट में लेती दिखी, और यह एक ऐसी क्रान्ति है जिसकी कल्पना भयावहः है।

ख्याली राम काण्डपाल जी अल्मोड़ा जिले के विकास क्षेत्र ताड़ी खेत के खान गाँव के मूल निवासी हैं। खान गाँव काकड़ी घाट से ऊपर को स्थित है। काकड़ी घाट तक आने के लिये भवाली–रानी खेत राजमार्ग पर स्थित खैरना से सुब्ह–शाम साधन मिल जाते हैं। स्वामी विवेकानन्द जिन का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकत्ता में हुआ था, को काकड़ी घाट में सिद्धि प्राप्त हुई थी। सल्मोड़ा के पास लोधिया में उनका विश्राम स्थल हैं। लोधिया में एक वाटिका में विवेकानन्द जी की मूर्ति स्थापित की गई है जिस के साथ उनका सुभाषित अँकित है "महान कार्य बिना महान त्याग के नहीं होता।" विवेकानन्द ने कहा था, 'यदि कोई व्यक्ति समझता है कि वह दूसरे धर्मों का विनाश कर अपने धर्म की विजय कर लेगा तो बन्धुओं उस की यह आशा कभी भी पूरी नहीं होने वाली। सभी धर्म हमारे अपने हैं, इस भाव से उन्हें अपना कर ही हम अपना और सम्पूर्ण मानव–जाति का विकास कर पायें गे। काकड़ी घाट में रानी खेत के पास भालू डैम से निकल कर सिरौता नदी कोशी से मिलती है। इसी संगम पर एक झील बना कर पर्यटन विभाग एक रिसार्ट बना रहा है। निकट भविष्य में यह एक रमणीक

स्थल होगा। यहाँ कोशी नदी पर बिछे पत्थरों पर चल कर नदी पार गये, और वहाँ पाकड़ तले गोल चबूतरे पर अस्र की नमाज पढ़ी।

काण्डपाल जी का गाँव खान सम्भवतः मुगल पीरियड में बसा होगा। कुमाँयूनी ब्राह्मण थे और अपने समय के मशहूर ज्योतिषी थे। ख्याली राम काण्डपाल जिन की उम्र इस समय (2010) 56 साल है, अनेक मानवीय गुणों वाले हैं। दुबला–पतला शरीर, औसत ऊँचाई, मजबूत काठी, ईश्वर को सदा याद करने वाले, उस से डरने वाले, परोपकारी, परिवार के लोगों का बराबर ध्यान रखने वाले, इलाके के मान–सम्मान प्राप्त व्यक्तियों में प्रधान, धैर्य, साहस और समझदारी की प्रतिमूर्ति, नियम–संयम के पक्के, एक अच्छे इन्सान, ख्याली राम काण्डपाल शिक्षा विभाग में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त होकर 1973 में आये थे और अब प्रधान लिपिक रा0इ0का0 जौरासी, (नैनीताल) में प्रधान लिपिक हैं, और खबर है कि जल्द ही तरक्की पा कर कार्यालय अध्यक्ष के पद पर आरूढ़ होने वाले हैं। अपनी कर्मठता औल सूझ–बूझ और स्वाभाव से काण्डपाल जी ने सदैव अपने अधिकारियों के दिल में जगह बनाई ह। निःसंकोच सच बात कहने वाल पर लहजा नर्मी का, इन सरीखे लोग अब बहुत कम उम्र में मुझे अकेला खान गाँव खींच लाया। यहाँ मुझे सुख–शान्ति की दौलत मिल। काण्डपाल जी के बाप का सायः बचपन में उठ गया। माँ भी नहीं रहीं।

इस समय जब मैं यह सफरनामा लिख रहा हूँ (4 जून 2010) काण्डपाल जी के घर के सामने मेरी निगाह एक खाली किन्तु मजबूत बने मकान पर पड़ती है, यह मकान इस इलाके के महान समाज सेवी पंडित नित्यानन्द काण्डपाल (कान्याल) जी का है जिन की कोशिशों से इस इलाके में चार कालेज कायम हुए। मनुष्य का सतकर्म ही बाकी रहने वाला है, शेष सब छूट जाता है। नित्यानन्द जी ने इलाके के जिन लोगा को बुला–बुला कर पढ़ाया, उन्हें अपने कपड़े दिये, उनकी फीस दी, उन्हीं में से कुछ उन की जान के पीछे पड़ गये, और वह यहाँ से चले गये। खान गाँव अथवा इसके आस– पास सरकार नित्यानन्द जी के शायाने शान कोई यादगार न बना सकी। वह चाहे तो शेर में उनके नाम पर पालीटेकिनक और कृषि महा विद्यालय कायम कर उन त्यागी महापुरूष का श्रृण चुका सकती है। यह एक सुझाव है, खान गाँव में प्राप्त जानकारी के आधार पर।

कहा जाता है कि जब विष्णु का दूसरा अवतार कुर्म (कछुवा) का हुआ तो वह चंपावती नदी के पूर्व कुर्म–पर्वत में (जिसे आजकल काँडा देख या कान देव कहते हैं) तीन साल तक खड़ा रहा। प्रशंसा हुई। उस कुर्म–अबला के पैरों का निशान पत्थर में पड़गया, और कहा जाता है कि वह अब तक मौजूद है। तब से इस पर्वत का नाम कुर्माचल (कर्म अँचल) हो गया। कुर्माचल का प्राकृत रूप बिगड़ते–बिगडते 'कुमू' बन गया और यही शब्द भाष में 'कुमाऊँ' हो गया। पहले यह नाम चंपावत और उसके आस पास वे गाँवों को दिया गया, आगे चलकर काली नदी के किनारे के प्रान्त कुमा कहलाये। इस में अल्मोड़ा और नैनीताल के पहाडी जिले मुख्य हैं। (देरे कुमाऊँ का इतिहास लेखक बद्री दत्त पाण्डे)। डॉ0 जोध सिंह नेगी जी "हिमालय भ्रमण" में लिखते हैं – "कुमाऊँ के लोग खेती व धन कमाने में सिद्ध हस्त हैं। वे बड़े कमाऊँ हैं। इस से इस देश का नाम कुमाऊँ हुआ।

खान गाँव जहाँ थी ख्यालीराम काण्डपाल के मकान पर यह सफर नामा लिख रहा हुँ, कुमाऊँ का दुरस्थ स्थित ग्रामीण अँचल का एक गाँव हैं, पुरानी बस्ती है। गाँव में लगभग 25 परिवार हैं और आबादी 125 सड़क गाँव के नीचे है जहाँ पहुँचने के लिये 500 मीटर चलना पड़ता पानी और बिजली है। इस गाँव में पचीस सला पहले लगा ट्राँस्फर अभी तक चल रहा है यह एक कीर्तिमान हो सकता है। गाँव में किसी ने भी चोरी से कटिया नहीं लगाई है। हाल ही में यहाँ स्थापित मन्दिर को धार्मिक कार्यक्रम समय बिजली के अस्थायी

कनेक्शन के लिये चार हजार जमा किये गये, बची धनराशी आज वापस नहीं की गयी, ऐसा बताया गया, यह अजीवित है इसी गाँव के 40 लक्ष्मी कान्टर (दत्त काण्डपाल (कन्याल) ज्योतिषी थे जो आजादी के समय गाँधी जी के साथ और उनके सहपाठी थे। स्कूल (प्राथमिक पूर्वमाध्यमिक) कलन्दर खान में हैं, आगे की पढ़ाई के लिये बच्चों को शेर जिसकी दूरी 5 कि0मी0 है, जाना पढ़ता है, अस्पताल 5 कि0मी0 काकड़ी घाट में है। बैंक की सुविधा 8 कि0मी0 वमाशिव में है। खैरना यहाँ से 15 कि0मी0 दूर तथा अल्मोड़ा 30 कि0मी0 रानी खेत 231 दूर है। पहले लोग रानीखेत पैदल जाया करते थे। इस रास्ते कोई डेढ़ घंटा पैदल मैं भी चला हूँ। जरूरत का सामान लेने के लिये भी कम से कम 5 कि0मी0 जाना होता हैं सवारी का साधन नीचे उतर कर काकड़ी घाट या खुडोली में ही मिल पाता है वह भी हर समय नहीं खान गाँव के लोग कुछ तो खेती करते हैं, मगर यहाँ ब्राह्मण हल नहीं चलाते, परम्परा चली आ रही है उस से हट नहीं सकते, यह एक कठिनाई तो है ही, आर्थिक समस्या भी है। समाज शस्त्रियों के लिये न्योता है। मकान पत्थरों के बने हैं। छाजन पत्थरों की है। पानी के ढाल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, रौशनदान और चूल्हों के धुंए निकलने का अच्छा इन्तेजाम। मकानों में जो लकड़ियाँ लगी हैं उनमें नक्काशी हैं पंचायत घर और मन्दिर सीमेन्ट और पत्थर से बने हैं, आर सी0सी0 के छतें हैं, ईंट का प्रयोग नहीं देखा। हल्दानी में इंटों की साइज छोटी दिखी। छाजन के नीचे लकड़ी के पटरे बिछे हैं कुछ घरों में लैट्रीन भी बनी हैं। पानी बराबर नहीं आता। पेयजल की समस्या है। लोगों को दूर नीचे से पानी लाते देखा। बड़ी मुश्क्कत का काम है। इंधन की जरूरत जंगली लकड़ी से पूरी हो जाती है। दूध के लिये लोग गाय बगरी पालते हैं भैंस न दिखी। जानवरो के रहने के लिये मकान नीचे खेतो के पास बनाते हैं, नीच जानवरो की गोशाला ऊपर स्वयं के लिये विश्रामालय। अच्छा लगा। यहीं पर जानवरो के घास–चारे के व्यवस्था और यहीं से तैयार गोबर की खेतों में डाल दी। खाँन गाँव के आसपास पाये जाने वाले फल अनाज, दाड़िम, आड़ू, सुमानों पुलम, नासपाती, गडमहल, तिमिल (अँजीर), बेड़ू, काफल, सेब, केला नीबू, नारंगी, मालटा, किमू, गलगल, हिसालू, आम, लीची, अँगूर, आँवला, फलना (जामुन), अमरूद, थाको (खजूर) आदि हैं। पौधों में चीड़, देवदार, बाँझ, मेहल, बेतन, तूनी, खडक, भेखू, तुम, तीमूर, शीशम, साल, सिसुर (बिच्छू), केरूड़ आदि यहाँ पाये जाते हैं।

इस इलाके के विकास के लिये दो योजनाओं का उल्लख, सुझाव के रूप में यहाँ किया जाता है (i) शेर में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना, (i) शेर में एक इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट (आई0टी0आई0) की स्थापना। इनके लिये यहाँ भूमि उपलब्ध है। शुरुआत के लिये सर्व प्रथम पहुँच मार्ग (ऐक्से सेलेटी) को विकसित करना होगा। उक्त संस्थाओं की स्थापना से खान, ज्याड़ी, वलनी, दीना, पोखरी, पजिना, जनता, खुडोली, कनार, मंगडोली, डोल, काकड़ी घाट, सूनियाकोटु, बेड़गाँव, नौगाँव, भोख, एड़ा, जाख, मिकोशा आदि लगभग तीस गाँव लाभन्वित होंगे, ऐसा बताया गया। यदि योजना है तो इसे गति देना चाहिए।

खान गाँव के श्री शम्भु दत्त काण्डपाल, अवकाश प्राप्तअध्यापका सानिध्य मिला, बुद्धिजीवी हैं, नियम संयम के पाबन्द, सलीकः मन्द (सुव्यवस्था वाले) सही सोच वाले और देश–विदेश की जानकारी रखने वाले, बी0बी0सी0 के नियमित श्रोता और एक प्रबुद्ध अच्छे इन्सान। इसी गाँव के इसी व्यवर्ग के श्री देवकीनन्दन काण्डपाल के घर जाना हुआ, चाय पी। सानिध्य मिला। इण्टर कालेज अल्मोड़ा के अवकाश प्राप्त हिन्दी प्रवक्ता। पत्नी भी अध्यापन का कार्य कर रही हैं। सोशल हैं, देवकी नन्दन जो कवि भी हैं, उनकी एक दो रचना सुनने का सौभाग्य मिला। छायावाट पर बात चली तो साहित्य व समाज को

छायावाद की देन पर लाभदायक वार्ता रहीं कुमाऊँ बुद्धि– जीवियों से खाली नहीं का सबूत मिला।

कल खान के मुस्कटा मुहल्ले में जहाँ हरिजनों की बस्ती है, एक परिवार में शादी थी। प्रधानी के चुनाव में वहाँ से दो लोग खड़े थे, एक जीता दूसरा हारा। जो हार गया, अपने भाई के यहाँ शादी में शरीक न हुआ। एक भाई दूसरे भाई का सुख न बटोर सका। ईर्ष्य द्वेष ने पैर जमा लिया। यह खराब बात हुई। शम्भुदत्त जी को इसका दुख है। धन्य है यह एहसास। धर्म जोड़ता है तोड़ना नहीं। हम जुड़ते नहीं। दूर भागते हैं। इन्सान इन्सान से नफरत करता है। भाई–भाई के सुख–दुख में शरीक नहीं होता। यह अच्छी बात नहीं है। बुराई के मिटाने और अच्छाई व भलाई को बढ़ाने के लिये बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना होगा, कुछ करना होगा। यह सही है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ देता, पर यह भी यथार्थ है कि उसका सोंधापन फैल के रहता है, उसे बोतल में बन्द नहीं किया जा सकता, परन्तु इस सोंधापन के लिये चना को भुनना पड़ता है तब सोंध फैलता है। ओधी राजनीति करने वालों के लिये यह चिन्तन और मेथन का यह तो प्रस्तावना थी जो लम्बी हो गयी, अब सुनिये तिथिवार भ्रमा की कहानी जो सहज ही बयान करता हूँ, या सुनाता हूँ :

29 मई 2010 (शनिवार) प्रातः अपने गाँव सरकोण्डा से चलकर 10.30 बजे दिन में लखनऊ पहुँचा। दिन में बेड़े बेटे महमूद के यहाँ आराम किया, शाम प्रिय कमरूज्जमा साथ लेकर ऐशबाग रेलवे स्टेशन आये और नैनीताल एक्सप्रेस ट्रेन 5308 में आराक्षित डिब्बे एस–2 की सीट न0 10 पर बिठा कर गये, गाड़ी जिस प्लेटफार्म पर लगी थी उस पर जाने के लिय ओवर ब्रिज (ऊपर गामी पुल) से हो कर जाना होता है, जो बूढों के लिये कष्टदायक है। ऐशबाग रेलवे स्टेशन के फेस अपलिफ्टिंग का काम हुआ है और साफ सुथरा है। यहाँ से जाने और आने वाली ट्रेनों में नैनीताल एक्सप्रेस मुख्य ट्रेन है जो लालकुंआ तक जाती है और पौने नौ बजे छूटती है। ऐशबाग रेलवे स्टेशन से चलकर ट्रेन दूसरे दिन प्रातः आठ बजे लाल कुंआँ पहुँची, जहाँ से शिवालिक पर्वत का सिलसिला दिखाई पड़ता है, लाल कुंआ से हल्दानी लगभग पन्द्रह कि0मी0 है जो पहाड़ के चरणों में स्थित है।

30 मई 2010 (रविवार) लखनऊ से लालकुआँ के बीच ट्रेन से जाने में सीतापुर–लखीमपुर खीरी, भोजपुरा, बहेड़ी, पन्तनगर मुख्य स्थान पड़ते हैं बहेड़ी के बाद हल्द्वानी का क्षेत्र शुरू होता है यहीं पर उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है, और उत्तरा खण्ड की सीमा शुरू होती हैं हल्द्वानी में श्री ख्यालीराम काण्डपाल के छोटे भाई श्री लीलाधर काण्डपाल रामपुर रोड़ पर पंचायत घर के पास फंडेजी के होटल के पूरव अपने नव निर्मित मकान में सपरिवार रहते हैं और पास के एक राजकीय इण्टर कालेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, विनम्र और सेवा भाव के सदुगुण के धारक, नियम संयम वाले और समझदार। इन की नियुक्ति उसी जमाने की है जब मैं मेहल चौरी में तैनात था। इस तरह अटठाईस साल के बाद इन दोनों भाइयों से मेरी मुलाकात का संयोग बना। श्री ख्याली राम काण्डपाल अपने पैत1क गाँव खान में रहते हैं जो हल्द्वानी से लगभग साठ सत्तर कि0मी0 दूर अल्मोड़ा जिले में स्थित है जहाँ पहुँचने के लिये नैनीताल अवाली, खैरना, काँकडी घाट होकर जाने में तीन जगह गाड़ी बदलनी पड़ती है। हल्द्वानी से काठगोम दो कि0मी0 है जिसके आगे रेल लाइन नहीं है। अटठाईस साल बाद मिलने पर श्री लीलधर मुझे कैसे पहचानेगे इस के लिये मैंने उन्हें सफेद दाढ़ी, सर पर सफेद गोल टोपी की पहचान बता रखी थी, हल्द्वानी पहुँचने पर लीलाधर जी ने अगवानी की और अपने घर ले गये वहाँ आराम से रखा। आराम किया, शाम को खान गाँव से श्री ख्याली राम काण्डपाल हल्द्वानी आ गये। हल्द्वानी की आबादी गत दशक में बहुत बढ़ी है औ बढती जा रही है, पहाड़ से नीचे मैदान में आकर बसने की प्रवृति यहाँ साफ दिखाई दी।

(जारी.....)

❑❑

बरसाती कुकुरमुत्तों की तरह फल-फूल रही शिक्षा की दुकानें

- विद्या प्रकाश

संसार में ज्ञानदान को सर्वोत्तम दान माना गया है। इससे शिक्षक और शिक्षार्थी दोने लाभान्ति होते हैं। विद्या दान से शिक्षक के ज्ञान का अभ्यास तथा पुनरावृत्ति होती है और उसे नयी जानकरी हासिल करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे विद्यार्थी के भी ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। मगर आज के भौतिकवादी युग में शुद्ध मनोभाव से ज्ञान दान की परम्परा लुप्त होती जा रही है तथा शिक्षा का तेजी से व्यावसायीकरण होने लगा है। विशेषकर प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण का जैसा स्वार्थ केन्द्रित स्वरूप दिखलायी पड़ रहा है, वह चिंताजनक तो है ही, शैक्षणिक भविष्य को लेकर एक प्रश्न चिन्ह भी है

प्रति वर्ष नवीन शैक्षणिक सत्र की शरुआत होते ही हर छोटे-बड़े नगर तथा कस्बे में इंग्लिश मीडियम वाल नर्सरी, मान्टेसरी तथा किंडर गार्टन स्कूलों के सुन्दर साइंन बोर्ड तथा बैनर दीवारों पर सजने लगते हैं। उनकी आकर्षक शब्दावली में मुद्रित पोस्टर शहर की दीवारों पर चिपकने शुरू हो जाया करते हैं। इनमें विद्यालय में साफ हवादार कमरों, कंप्यूटर शिक्षा, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था वगैरह की खूबसूरत एवं दिलकश अंदाज में दावेदारी की गयी होती है। इस प्रकार लोगों में इंग्लिश के प्रति क्रेज को आर्थिक तथा व्यावसायिक स्तर पर भुनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे अपवादस्वरूप कुछेक विद्यालयों को छोड़कर इंग्लिश मीडियम के ज्यादातर विद्यालयों की स्थिति यह है कि उनमें न हवादार कमरों और पुष्पलता शोभित लॉन की व्यवस्था है न अच्छी शैक्षणिक उपलब्धियों तथा श्रेष्ठ प्राप्ताँक वाले प्रशिक्षित अध्यापकों-अध्यापिकाओं की नियुक्ति है और न संतोषजनक उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण है। मगर प्रबंघन तंत्र द्वारा शिक्षण शुल्क के नाम पर मनमानी धन वसूली की जाती है। तथा अभिभीवकों की जेब में डाका डालने की कोशिश की जाती है। शिक्षण शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, फैन फीस, वाहन शुल्क इत्यादि सब मिलाकर अभिभावक को प्रति छात्र कम से कम चार-पाँच सौ रूपये प्रति माह का चूना आसानी से लगा दिया जाता। शिक्षण शुल्क का शिक्षा विभाग की तरफ से काई सामान्य मानक नहीं निर्धारित हैं ट्यूशन फीस की वसूली में विद्यालय के प्रबंधक तथा व्यवस्थापक द्वारा जो मनमानी की जाती है वह तो की ही जाती है, इसके अलावा विद्यालय की तरफ से छात्रों को यूनीफार्म, टाई, स्टेशनरी तथा हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, विज्ञान चित्र कला आदि से सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तकें दी जाती हैं जिनमें विद्यालय के प्रबंध तंत्र को कम से कम पचास-पचास, साठ-साठ प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता है। प्रबंध तंत्र विद्यालय में उसी प्रकाशक की पुस्तकें चलवाता तथा लगवाता है जिसमें उसे सर्वाधिक कमीशन प्राप्त होता है इसके अलावा कभी त्रैमासिक, षटमासिक तथा वार्षिक परीक्षा, कभी टूर या पिकनिक और कभी वार्षि-कोतसव के नाम पर अभिभीवक की जेब ढ़ीली करना सामान्य बात है।

एक तरफ विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से ट्यूशन फीस के नाम पर निरंकुशतापूर्वक मनमानी वसूली की जाती है और दूसरी तरफ विद्यालय में अध्यापनरत अध्यापक-अध्यापिकाओं को प्रतिमाह हजार, डेढ़ हजार से ज्यादा वेतन नहीं दिया जाता। अनेक विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ आजकल के महंगाई के दौर में पाँच-सात सौ मासिक तनख्वाह पर पढ़ाई के लिए आसानी से अध्यापक उपलब्ध हो तो हैं। अनेक विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ मई-जून के ग्रीष्मावकाश में इन अध्यापक-अध्यापिकाओं को

शेष पृष्ठ 21

नग़मा-ए-नूर

- इन्तिज़ार नईम

अंधेरों से उजाले की तरफ़ आओ तो अच्छा है।
रहे–दुश्वार में खुद को न भटकाओ तो अच्छा है।

अंधेरे फिर अंधेरे हैं, नहीं ये काम आते हैं
भटकते हैं यहां जो भी वे कब मंजिल को पाते हैं
अंधेरा छोड़, राहे नूर अपनाओ तो अच्छा है

अंधेरे हैं, ये हर लम्हा नयी सूरत बदलते हैं
करे जो गुमरही को आम उस पैकर में ढलते हैं
कजी जिस भेस में हो उससे बच जाओ तो अच्छा है

अंधरे ख़ौफ–जुल्मो–जब्र बनकर छाते रहते हैं
सितम इन्सान पर, सौ–सौ तरह से ढाते रहते हैं
हरेक ज़ालिम को राहे–रास्त पर लाओ तो अच्छा है

अंधेरे अम्न का इन्साफ का खूं करने आते हैं
गुलामी की नयी जंजीर अपने साथ लाते हैं
किसी जंजीर को ख़ातिर में मत लाओ तो अच्छा है

अंधेरे इस्मते–निस्वां के दुश्मन हैं मुख़ालिफ़ हैं
टपकती हो हया, जिससे ये उस चादर से ख़ाइफ़ हैं
है ग़ैरत, एक रहमत, सबको समझाओ तो अच्छा है

अंधेरे लफ़्ज़ते–तौहीद से नाआशना ठहरे
ये हैरत है कि पालनहार ही के बेवफ़ा ठहरे
वफ़ा की रीत क्या है उनको समझाओ तो अच्छा है

अंधेरे में जो गुज़रे ज़िन्दगी वो जिन्दगी क्या है
मयस्सर हो न जिसको रोशनी वो जिन्दगी क्या है
फ़रेबे–तीरगी मत भूलकर खाओ तो अच्छा है

अंधेरा छोड़कर आना उजाले में नहीं मुश्किल
ज़रा–सा हौसला पहुंचा भी सकता है सरे–मंज़िल
रिज़ा–ए राहे–रब पर दौड़ कर आओ तो अच्छा है

'नईम' ये दौर, जुल्मत से बहुत बेज़ार भी तो है
उजालों से लिपटने के लिए तैयार भी तो है
हरेक ज ानिब रिदा–ए–नूर फैलाओ तो अच्छा है।

(कान्ति से ग्रहीत)

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

— डॉ0 मुइद अशरफ नदवी

संयुक्त राष्ट्र के नए प्रतिबंधों को ईरान ने किया ख़ारिज

तेहरान! ईरान ने अपने विवादित परमाणु कार्यक्रम के मद्देनज़र लगाए गए संयु राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए प्रतिबंधों को यह कहकर खारजि कर दिया है कि इससे संवेदनशील परमाणु कार्य पर दबाव पड़ेगा, वहीं दुनिया की महाशक्तियों ने कहा है कि बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलफ नए प्रतिबंधों पर अमेरिकी प्रस्ताव को दो के मुकाबले 12 मतों से पारित कर दिया गया। ब्राजील और तुर्की ने अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया जबकि लेबनान ने मतदान में हिस्स नहीं लिया। प्रस्ताव के सह–प्रायोजक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्राँस ने प्रतिबंधों की सराहना की है वहीं ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कीहै। प्रस्ताव पर मतदान के बाद तजाखिस्तान की राधानी दुशाँबे में मौजूद ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कहा कि उन्होंने दुनिया के ताकतवर देशों के नेता से कह दिया हे कि "आपने जो प्रतिबंध लगाए हैं, वे इस्तेमाल किए हुए रूमाल की तरह है जिन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाना चाहिए।" वहीं अंतराष्ट्री परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए में ईरान के प्रतिनिधि अली असगर सुल्तानी ने जोर देकर कहा कि "ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम बंद नहीं करेगा।

हिन्दू आतंकवाद की बातें साजिश : जोशी

संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने काह कि हिन्दुत्व ही विश्व शान्ति का एक मात्र मंत्र है लेकिन कुछ शक्तियाँ इसके विरुद्ध प्रचार कर रही हैं। ये शक्तियाँ कल तक विश्वव्यापी आतंकवाद को किसी धर्म से न जोड़े जाने की वकालत कर रही थीं, वही आज देश में हुई छिटपुट घटनाओं के आधार पर हिन्दू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की बात फैला रही हैं। यह हिन्दूओं के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। श्री जोशी निरालानगर सरस्वती शिशु मन्दिर में आयोजित गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश इस समय जिस तरह के संकटों से गुजर रहा है।, उनमें हिन्दुत्व की मजबूती जरूरी है। हिन्दू हमेशा से सहिष्णु रहा है। उसकी इस बात को कमजोरी समझना गलत होगा।

मोबाइल पर जीवाणु

लंदन में हुए एक शोध के नतीजों ने लोगों को चौंकाया जरूर होगा, खासकर उन लोगों को जो लगातार मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। एक स्वास्थ्य विज्ञानी ने जाँच करके पाया है कि लंदन में जो लगभग 63 करोड़ मोबाइल इस्तेमाल होते हैं उनमें से तकरीबन पंद्रह करोड़ मोबाइल फोन ऐसे हैं जिन पर टॉयेलेट के हैंडल से 18 गुना ज्यादा हानिकारक बैक्टीरिया या दूसरे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। रोग पैदा करने वाल इन सूक्ष्म जीवों की तादाद सुरक्षित सीमा से 10 गुनी ज्यादा है। ऐसे ही एक सर्वेक्षण से ये भी नतीजे लिकले थे कि कंप्यूटर के माउस और की–बोर्ड पर भ टॉयलेट से ज्यादा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं।

यहूदी बस्तियाँ बसाना बंद करे इजराइल

वॉशिंगटन! इजराइल के प्रति अमेरिकी नीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल से फलस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों में नई यहूदी बस्तियों के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के लिए कहा है। ओबामा से मिलने आए फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिए जाने पर उनसे समर्थन माँगा था। इसके बाद ओबामा ने इजराइल से यह अपील की। ओबामा ने दस दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात कर पश्चिम एशिया की समस्या के हल के लिए द्विराष्ट के प्रस्ताव पर जोर दिया था।